सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

राजस्थान बायो-फ्यूल नीति

RAJASTHAN BIO-FUEL POLICY

ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग

(बायोफ्यूल प्राधिकरण)

website : dpipraj.gov.in/biofuel

GANGANAGAR
HANUMANGARH
CHURU
BIKANER
JHUNJHUNUN
SIKAR
ALWAR
BHARATPUR
JAISALMER
NAGAUR
DAUSA
JAIPUR
KAROLI
DHAULPUR
JODHPUR
AJMER
TONK
SAWAIMADHOPUR
BARMER
PALI
BHILWARA
BUNDI
RAJSAMAND
JALOR
KOTA
BARAN
CHITTORGARH
SIROHI
UDAIPUR
JHALAWAR
DUNGARPUR
BANSWARA
0 50 100 150 200 250km

अनुसूची

क्र.सं.	क्रम सूची	पृष्ठ संख्या
1.	पृष्ठभूमि	1
2.	राज्य में बायो-फ्यूल आधारित कृषि परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रयास	1
3.	राज्य में बायो-फ्यूल आधारित परियोजनाओं हेतु नीति के मुख्य बिन्दु	1
4.	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व विभाग द्वारा जारी बंजर भूमि आवंटन नियम, 2007	4
5.	राजस्थान भू-राजस्व (जैव-ईंधन रोपण और जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाईयों के लिये बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के अधीन भूमि के आवंटन के लिये अवेदन पत्र	12
6.	पड़त एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत् वन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश	19
7.	किसानों से समर्थन मूल्य पर रतनजोत की खरीद एवं निस्तारण हेतु राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि. जयपुर की कार्य योजना	39
8.	बायो-फ्यूल मिशन (Bio-Fuel Mission)	44
9.	उच्च अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee)	45
10.	रतनजोत-कुछ जानकारी	47

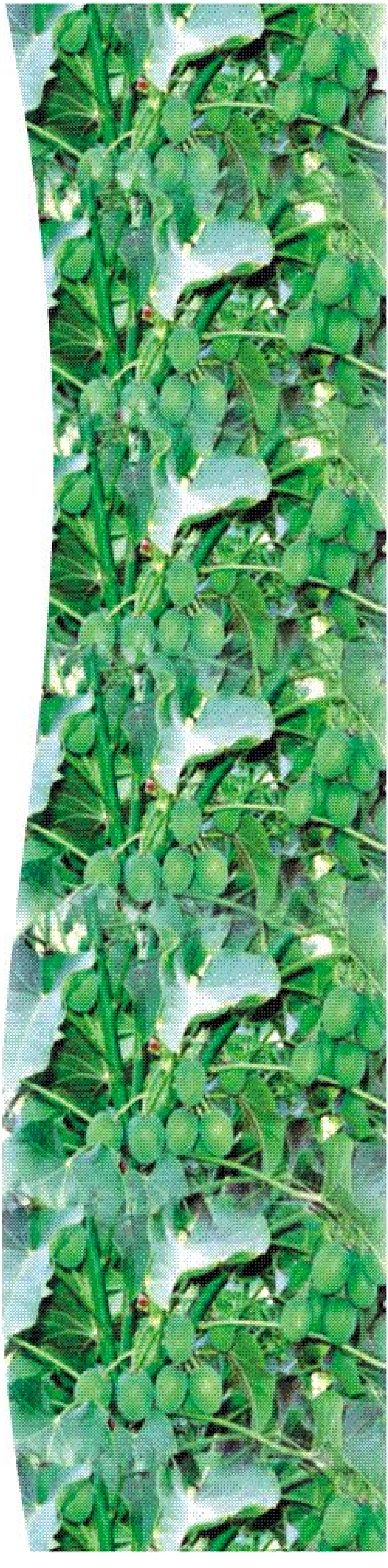

1. पृष्ठभूमि

- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। बंजर भूमि के हिसाब से भी राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का क्षेत्रफल अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। National remote senseing agency द्वारा तैयार किए गए wasteland atlas के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (342.24 लाख हैक्टेयर) का करीब 31 प्रतिशत (105.64 लाख हैक्टेयर) क्षेत्र बंजर भूमि की श्रेणी में आता है।
- पिछले कुछ वर्षों में बायो-फ्यूल ईंधन उर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के द्वारा बायो-फ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2005-2006 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में ''बायो-फ्यूल मिशन'' का गठन किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इससे संबंधित क्षेत्र में बंजर भूमि का विकास होगा तथा आय, रोजगार एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा राज्य का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

2. राज्य में बायो-फ्यूल आधारित कृषि परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रयास:-

- रतनजोत एवं अन्य बायो-फ्यूल आधारित कृषि प्लांटेशन के लिए वृहत स्तर पर सुगमता से बंजर भूमि उपलब्ध कराना।
- व्यक्तिगत खातेदारों को उनकी खातेदारी की बंजर भूमि पर रतनजोत व अन्य बायो-फ्यूल आधारित कृषि प्लांटेशन के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य के बड़े क्षेत्र में उपलब्ध परिभ्रांषित वन (Degraded Forest) का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना।
- इस क्षेत्र में वृहत स्तर पर निवेश व जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग एवं बायो-फ्यूल प्राधिकरण (Bio-fuel Authority) द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों का पैकेज जारी करना।

3. राज्य में बायो-फ्यूल आधारित परियोजनाओं हेतु नीति के मुख्य बिन्दु

3.1 बंजर भूमि (वन क्षेत्र को छोड़कर) के लिए

बंजर भूमि का बायो-फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज आदि की खेती व उद्योग स्थापना हेतु आंवटन निम्न श्रेणियों को किया जाएगा :-

1. निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत)
2. राजकीय उपक्रम
3. बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह
4. ग्राम पंचायत

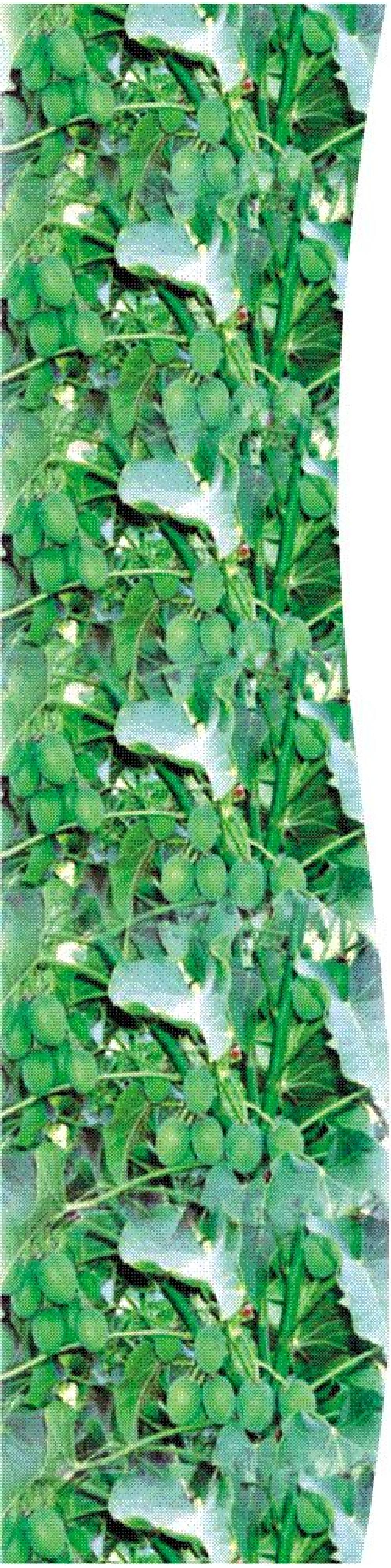

5. कृषि सहकारी समितियां
6. पंजीकृत समितियां
7. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति

नोट - उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (Preference) दी जावेगी जिसमें बायो-फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के साथ-साथ निम्न कार्य किये जावेंगे :-

1. प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
2. बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
3. पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
4. उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
5. रतनजोत, करंज एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती
6. बायो-फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा
7. जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो-फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी

- निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) एवं राजकीय उपक्रम को जिले में उपलब्ध बंजर भूमि का अधिकतम 30% भाग तक आवंटित किया जा सकता है। शेष भूमि अन्य श्रेणियों को आवंटन हेतु उपलब्ध रहेगी। इसमें बीपीएल परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- निजी कम्पनी (भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत) एवं राजकीय उपक्रम को बायो-फ्यूल प्रोजेक्ट हेतु 1000 हैक्टेयर तक भूमि का आवंटन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, इससे अधिक आवंटन के प्रस्ताव बी.डी. को निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। अन्य श्रेणियों को 100 हैक्टेयर तक भूमि आवंटन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
- राजकीय उपक्रम, निजी कम्पनियों एवं पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन डीएलसी दरों की 20 प्रतिशत राशि (बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू होने वाली दरों के आधार) पर किया जावेगा। शेष श्रेणियों को भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
- राजकीय उपक्रम, निजी कम्पनियों एवं पंजीकृत समितियों को भूमि का आवंटन पट्टाधारी (leasehold) आधार पर 20 वर्षीय लीज पर किया जाएगा और शेष श्रेणियों को आवंटन भूमि पर गैर खातेदारी आधार पर दिया जाएगा।
- आवंटी को आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत प्रथम दो वर्ष में तथा शेष आवंटन से तृतीय वर्ष में प्लान्टेशन के कार्य में लेना होगा। इस शर्त की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
- एन.सी.आर. क्षेत्र, शहर क्षेत्र व मुख्य सड़क मार्गों से निर्धारित दूरी तक की भूमि आवंटित नहीं की जावेगी।
- राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियम शीघ्र जारी किये जावेंगे।

- इस योजना की गतिविधियों के संचालन हेतु नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा।
- बीपीएल परिवारों के स्वयं सहायता समूहों व ग्राम पंचायतों को आवंटित भूमि के विकास हेतु सहायता ग्रामीण विकास की योजनाएँ जैसे बंजर भूमि विकास योजना, वाटरशेड, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, Novod अनुदान योजना इत्यादि के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हेतु परियोजना तैयार की जाकर लागू की जावेगी ताकि इस भूमि का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से निश्चित अवधि में हो सके और इसका लाभ गरीब व्यक्तियों को प्राप्त हो सके।
- कृषि विस्तार अधिकारी/कार्यकर्ता द्वारा वांछित तकनीकी सहयोग, भूमि विकास हेतु सहयोग, इनपुट व्यवस्था (खाद, बीज अनुदान एवं तकनीकी जानकारी), पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का तकनीकी हस्तांतरण तथा गरीब परिवार के लिये (Hand Holding) सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।

- बायो-फ्यूल हेतु रतनजोत का वाणिज्यिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास संघ के माध्यम से अनवरत व निश्चित दर पर बीज खरीद कराने, बीज एवं तेल की बिक्री पर विभिन्न करों में छूट देने पर विचार किया जायेगा। निजी कम्पनियों को उपरोक्त व्यवस्था के साथ-साथ संविदा खेती की अनुमति होगी।
- वन क्षेत्र में उपलब्ध बंजर भूमि का आवंटन तो नहीं किया जा सकता है लेकिन उसके समग्र विकास के लिए राज्य स्तर पर एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। राजस्थान राज्य के वन क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र परिभ्रांषित स्थिति में है जिस पर सघन वन नहीं है। वन विभाग की पड़त एवं परिभ्रांषित भूमियों पर वृक्षारोपण कर हराभरा करने के साथ-साथ क्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये बायो-फ्यूल उत्पादन करने वाली स्थानीय प्रजातियां जैसे रतनजोत, करंज आदि का रोपण किया जा सकता है।
- बंजड़ भूमि पर राज्य स्तर पर बायो-फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए परियोजनाओं को दिये जाने वाले प्रोत्साहन निम्न होंगे :-
- बायो-फ्यूल प्राधिकरण द्वारा किसानों, कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं, बैंक अधिकारियों तथा उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा।
- बायो-फ्यूल प्राधिकरण द्वारा रतनजोत से संबंधित तकनीकी साहित्य का वितरण किया जावेगा।
- बायो-फ्यूल प्राधिकरण द्वारा कृषकों को रतनजोत के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा।
- व्यावसायिक बैंको के माध्यम से राजस्थान में रतनजोत प्लान्टेशन के लिए ऋण का प्रावधान है और बायो-फ्यूल प्राधिकरण ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगा।

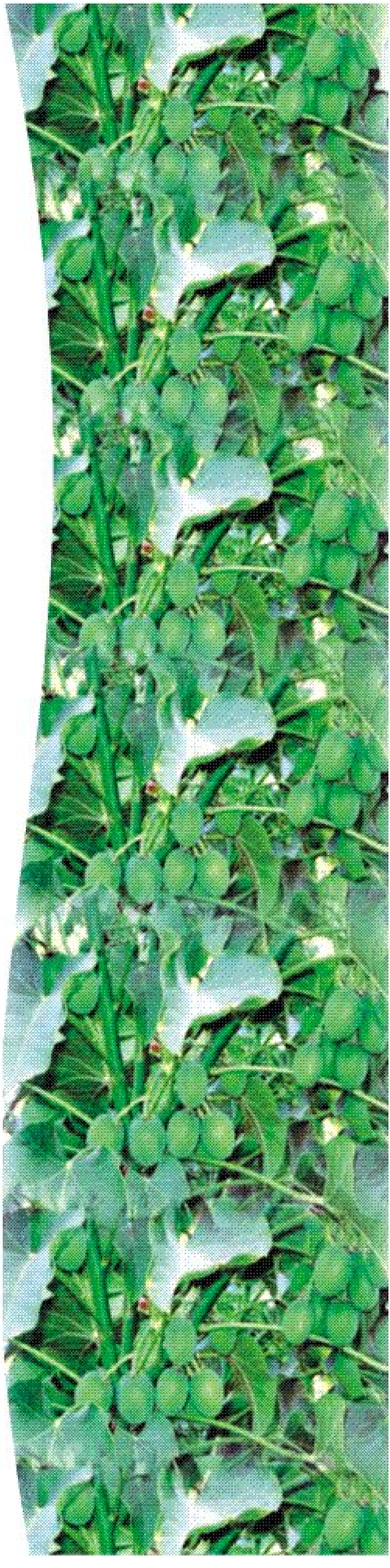

विभागीय अधिसूचना क्रच9(1) राज-6/2007/21 जयपुर दिनांक 7.5.2007 का हिन्दी संस्करण

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

सं. एफ 9(1)रेवे-6/2007/39 जयपुर दिनांक 4.8.2007

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 101 और 102 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 261 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (जैव-ईंधन रोपण और जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 है।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ :-

(1) इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) अभिप्रेत है ;

(ख) ''कृषि सहकारी सोसायटी'' से भूमिहीन व्यक्तियों की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है;

(ग) ''आवंटन प्राधिकारी'' से नियम 9 के अधीन गठित प्राधिकारी अभिप्रेत है

(घ) ''अविविबो'' से राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर गठित अवसंरचना विकास और विनिधान बोर्ड अभिप्रेत है

(ङ) ''जैव-ईंधन प्राधिकारी'' से राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(च) ''जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई'' से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसे संकुलों या सम्पदाओं की स्थापना जिनमें जैव-ईंधन प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयाँ, परिष्करणियाँ, जैव-ईंधन के क्षेत्रों में संयुक्त उच्च प्रौद्योगिक परियोजनाएं, संकर बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन इत्यादि के माध्यम से सूक्ष्म संजनन और प्रशिक्षण सहित अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप समाविष्ट हों;

(छ) ''जैव-ईंधन रोपण'' के अन्तर्गत है जैव-डीजल के उत्पादन के लिए जटरोपा, करंज और अन्य उपयुक्त तिलहन वनस्पत्ति;

(ज) ''कम्पनी'' से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी अभिप्रेत है।

(झ) ''जिला स्तरीय समिति'' या ''जि.स्त.स.'' से राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित समिति अभिप्रेत है

(ञ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है

(ट) ''सरकारी उपक्रम'' से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कम्पनियां और निगम भी है।

(ठ) ''ग्राम पंचायत'' से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन गठित पंचायत अभिप्रेत है;

(ड) ''भूमिहीन व्यक्ति'' से राजस्थान का ऐसा कोई निवासी अभिप्रेत है जो या तो कोई वास्तविक कृषक है या कोई कृषि श्रमिक है, और स्वयं खेती कर रहा है या जिसके द्वारा स्वयं खेती करना संभाव्य है और जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत खेती या कोई ऐसी उपजीविका है जो कृषि की समनुषंगी या अनुसेवी है, और ऐसा व्यक्ति राजस्थान में कहीं भी भू-धृति धारित नहीं करता है, या ऐसी भूमि का वह क्षेत्र, जो वह धारित करता है जिसमें कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो उसे पूर्व में आवंटित की गयी थी, असिंचित भूमि के 2 हैक्टर से कम है : परन्तु

(क) सरकार का या किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक स्थापन या समुत्थान का कोई कर्मचारी, उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे। इस प्रयोजन के लिए किसी आकस्मिक या कार्य प्रभारित श्रमिक को कर्मचारी के रूप में नहीं माना जायेगा;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने उसके द्वारा धारित या उसे आवंटित सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को विक्रीत कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है और तद्द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र से कम धारित करता है;

(ग) कोई विवाहित व्यक्ति, जिसकी पत्नी या, यथास्थिति, जिसका पति पूर्व में उसे संयुक्त रूप से या पृथकतः आवंटित भूमि को सम्मिलित करते हुए असिंचित भूमि के 2 हैक्टर से अधिक भूमि धारित करता है;

(ढ) ''पट्टा'' से इन नियमों के अधीन निष्पादित कोई पट्टा अभिप्रेत है;

(ण) ''सोसायटी'' से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अभिप्रेत है;

(प) ''गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह से स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अधीन गठित स्वयं सहायता समूह अभिप्रेत है;

(फ) ''ग्राम वन सुरक्षा और प्रबन्ध समिति'' से, राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा समय-समय पर गठित कोई समिति अभिप्रेत है; और

(ब) ''बंजर भूमि'' से ऐसी निम्नीकृत भूमि जैसे युक्तियुक्त प्रयासों से खेती के काम में लाया जा सकता है और जो वर्तमान में अनुपयोजित पड़ी है और गलीदार भूमि को सम्मिलित करते हुए ऐसी भूमि अभिप्रेत है जिसका प्राकृतिक कारणों से समुचित मृदा और जल प्रबन्धन की कमी से क्षय हो रहा है।

(2) इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों, जहाँ कहीं भी इन नियमों में प्रयुक्त की गयी है, का वही अर्थ लगाया जायेगा जो अधिनियम में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

3. आवंटन का प्रयोजन और पात्रता :-

(1) इन नियमों के अधीन जैव-ईंधन रोपण और जैव ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाई के लिए भूमि निम्नलिखित को आवंटित की जा सकेगी :-

(क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह

(ख) ग्राम वन सुरक्षा और प्रबन्ध समिति

(ग) ग्राम पंचायत

(घ) कृषि सहकारी सोसायटी

(ङ) सोसाइटी

(च) सरकारी उपक्रम और

(छ) कम्पनी

(2) किसी जिले में उपलब्ध कुल बंजर भूमि का अधिकतम तीस प्रतिशत सरकारी उपक्रमों और कम्पनियों को आवंटित किया जा सकेगा और उन सरकारी उपक्रमों और कम्पनियों को अधिमान दिया जायेगा जो रतनजोत, करंज और अन्य समान जैव-ईंधन पौधों का रोपण करने और प्रसंस्करण इकाइयों, परिष्करणियों, संयुक्त इकाईयों, ऐसे जैव-ईंधन पौधों के मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण स्थापित करने, अनुसंधान और विकास को सम्मिलित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले पौधों और बीजों केलिए नर्सरी स्थापित करने का जिम्मा लें और स्थानीय क्षेत्रों में कम से कम 50 प्रतिशत अकुशल श्रमिकों को नियोजित करने का जिम्मा लें।

(3) शेष भूमि उप-नियम (1) के अन्य प्रवर्गों को आवंटित की जायेगी और अन्य प्रवर्गों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को अधिमान दिया जायेगा।

4. बंजर भूमि की पहचान

(1) जिले में उपलब्ध बंजर भूमि की पहचान इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी समिति द्वारा की जायेगी :-

(क)	जिला कलक्टर	-	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	-	सदस्य
(ग)	खण्ड वन अधिकारी	-	सदस्य
(घ)	सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी	-	सदस्य

(ङ) सम्बन्धित तहसीलदार - सदस्य

(च) उप निदेशक, कृषि - सदस्य

(छ) अपर कलक्टर, (प्रशासन) - सचिव

(2) पहचान की गयी बंजर भूमि में समस्त ब्यौरा (जैसे ग्राम/तहसील का नाम, भूमि का विवरण, खसरा संख्या, भूमि का क्षेत्रफल, मृदा वर्गीकरण इत्यादि) समाविष्ट होगा। इस प्रकार पहचान की गयी भूमि राज्य सरकार/जिले की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। समस्त ब्यौरे के साथ बंजर भूमि की सूची राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, और कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी और यह 10 हैक्टर की इकाईयों के ब्लॉक 100 हैक्टर के समूह और 5000 हैक्टर के जॉन में समूहीकृत की जायेगी ।

5. बंजर भूमि जो आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी :-

इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए निम्नलिखित बंजर भूमि उपलब्ध नहीं होगी -

(क) राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 16 के अधीन प्रतिषिद्ध भूमि;

(ख) किसी तालाब, सरिता, नाला, नदी के जलागम क्षेत्र में अवस्थित और राजस्व अभिलेख में इस प्रकार अभिलिखित भूमि;

(ग) नगरीय क्षेत्र के भीतर भूमि आवंटन के लिए किन्हीं विनिर्दिष्ट नियमों के अधीन आवंटन के लिए आरक्षित भूमि;

(घ) अधिनियम की धारा 90-ख के अधीन यथा उपबंधित नगरीय सीमा या परिधीय क्षेत्र के भीतर अवस्थित भूमि;

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर आने वाली भूमि

(च) (1) राष्ट्रीय राजमार्ग की केन्द्रीय रेखा से एक किलोमीटर

(2) राज्य राजमार्ग, मेगा राजमार्ग से 500 मीटर

(3) मुख्य जिला सड़कों से 500 मीटर की सीमा के भीतर अवस्थित भूमि

(छ) भारतीय सड़क कॉंग्रेस द्वारा विहित सीमाओं के भीतर अवस्थित भूमि।

6. भूमि का आवंटन :-

(1) बंजर भूमि, नियम 10 के निर्दिष्ट भूमि के प्रीमियम के संदाय पर पट्टाधृति आधार पर सरकारी उपक्रमों, कम्पनियों और सोसाइटियों को आवंटित की जायेगी।

(2) भूमि, उप-नियम (1) में यथा-उल्लिखित के सिवाय सभी व्यक्तियों को गैर-खातेदारी आधार पर आवंटित की जायेगी।

(3) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि पर कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे।

7. गैर-खातेदारी और पट्टे की अवधि :-

गैर खातेदारी आधार पर और पट्टाधृति आधार पर आवंटित बंजर भूमि 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगी।

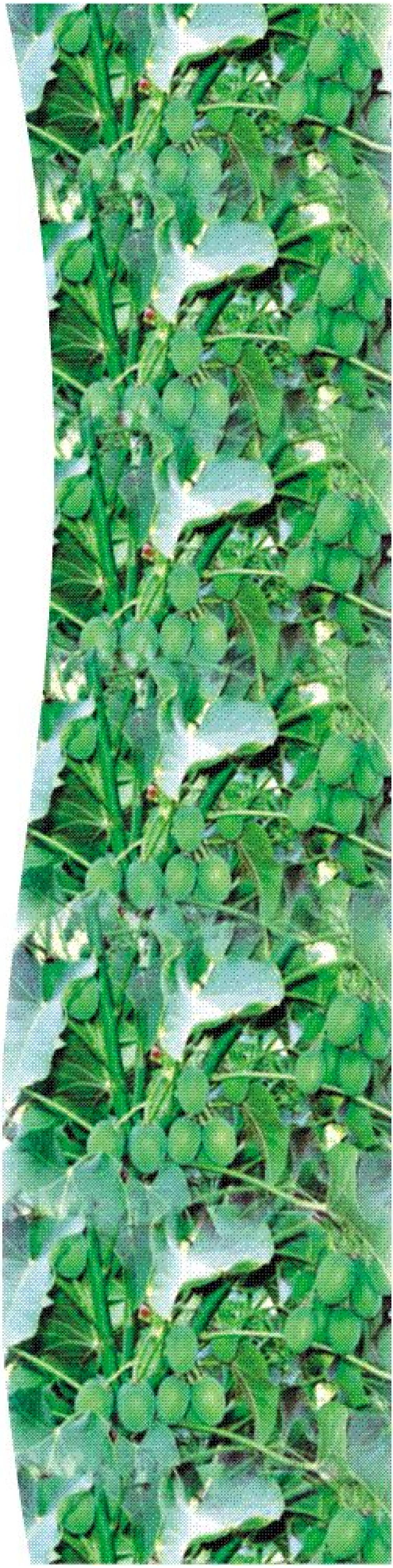

8. भूमि के आवंटन के लिए आवेदन :-

(1) कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा और कम्पनियाँ और सरकारी उपक्रम निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रारूप ''क'' में आवेदक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर तीन प्रतियों में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे :-

(क) बंजर भूमि का स्थल रेखांक

(ख) परियोजना रिपोर्ट

(ग) जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन प्रसंस्करण इकाई, यदि कोई हो, का भवन रेखांक

(घ) उप-विधियों, संगम-अनुच्छेद और भागीदारी विलेख की प्रति (जहाँ कहीं लागू हो)

(2) कम्पनियों, लोक उपक्रमों और सोसाइटियों के आवेदन के साथ 1000/- रुपये रजिस्ट्रीकरण फीस और प्रति हैक्टर 400/- रुपये के समतुल्य प्रतिभूति रकम होगी। प्रतिभूति रकम परियोजना के सफल क्रियान्वयन पर समायोज्य होगी।

9. बंजर भूमि का आवंटन - नियम 8 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की समूचित स्तर पर संवीक्षा की जायेगी और आवेदन की संवीक्षा करने के पश्चात् बंजर भूमि आवंटन निम्नानुसार किया जायेगा :-

(क) 100 हैक्टर तक बंजर भूमि जिला कलक्टर द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी जिला समिति की सिफारिश पर (कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों को छोड़कर) आवंटित की जायेगी :-

(1)	जिला कलक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	अपर कलक्टर (प्रशासन)	-	सदस्य सचिव
(3)	विधान सभा का सम्बन्धि सदस्य	-	सदस्य
(4)	खण्ड वन अधिकारी	-	सदस्य
(5)	संयुक्त/उप निदेशक कृषि	-	सदस्य

(ख) 1000 हैक्टर तक बंजर भूमि राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों को आवंटित की जायेगी:-

(1)	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व	-	सदस्य
(3)	प्रमुख शासन सचिव, कृषि	-	सदस्य
(4)	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग	-	सदस्य
(5)	आयुक्त, बी. आई. पी.	-	सदस्य
(6)	आयुक्त, जैव-ईंधन प्राधिकारी	-	सदस्य
(7)	उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6)	-	सदस्य सचिव।

(ग) 1000 हैक्टेयर से अधिक बंजर भूमि अवंसरचना विकास और विनिधान बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों और सरकारी उपक्रमों को आवंटित की जायेगी। आवंटन के प्रस्ताव की खण्ड (ख) में उल्लिखित समिति द्वारा संवीक्षा की जायेगी।

(घ) आवंटन प्रारूप ''ख'' में किया जायेगा।

(ङ) 5000 हैक्टेयर के किसी जोन में भूमि केवल एक कम्पनी को आवंटित की जायेगी। यदि किसी जोन में एक से अधिक आवेदक हों तो आवंटन का विनिश्चिय कम भूमि का अनुरोध करने वाली कम्पनी के पक्ष में किया जायेगा।

10. भूमि का प्रीमियम :-

(1) यदि बंजर भूमि पट्टाधृति आधार पर आवंटित की जाती है तो पट्टेदार भूमि के लिए क्षेत्र की बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के लिए विहित जि.स्तज.स. दर के 20 प्रतिशत के समतुल्य प्रीमियम का संदाय करेगा

(2) गैर खातेदारी आधार पर आवंटित भूमि पर कोई प्रीमियम प्रभार्य नहीं होगा।

11. प्रीमियम की वसूली :-

पट्टाधृति आधार पर आवंटित बंजर भूमि का प्रीमियम पट्टेदार द्वारा रकम जमा कराने की सूचना प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतर जमा कराया जायेगा

परन्तु आवंटिति 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ उक्त रकम अगले 60 दिन के भीतर जमा करा सकेगा। व्यतिक्रम की दशा में, भूमि का आवंटन स्वतः रद्द हो जायेगा।

12. पट्टा किराया :-

(1) कम्पनियों, सरकारी उपक्रमों और सोसाइटियों को आवंटित बंजर भूमि का वार्षिक पट्टा किराया उस तहसील में बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के भू -राजस्व का 10 गुना होगा।

(2) राज्य सरकार किसी भी समय वार्षिक पट्टा किराये को पुनरीक्षित कर सकेगी जो पट्टेदार द्वारा संदेय होगा।

13. पट्टा-किराये के देर से संदाय पर ब्याज :-

यदि पट्टा किराया विनिर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं कराया जाता है तो देय रकम पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

14. भूमि के आवंटन के लिए निबन्धन और शर्तें :-

इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जायेगा।

(क) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी जिसके लिए वह आवंटित की गयी है। तथापि, आवंटिती, आवंटित क्षेत्र का 2 प्रतिशत या 10 हैक्टर भूमि, इनमें से जो भी कम हो, कच्ची सामग्री के भंडारण, तैयार माल के भंडारण, श्रमिक आवास और कारखाना शैड के लिए उपयोग में ला सकेगा।

(ख) आवंटिती को उस तारीख से, जिसको कब्जा सौंपा गया है, दो वर्ष के भीतर भूमि के 50 प्रतिशत को आवटिती रोपण के उपयोग में लाना होगा और शेष को अगले एक वर्ष के भीतर रोपण के उपयोग में लाना होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः रद्द किया हुआ समझा जायेगा;

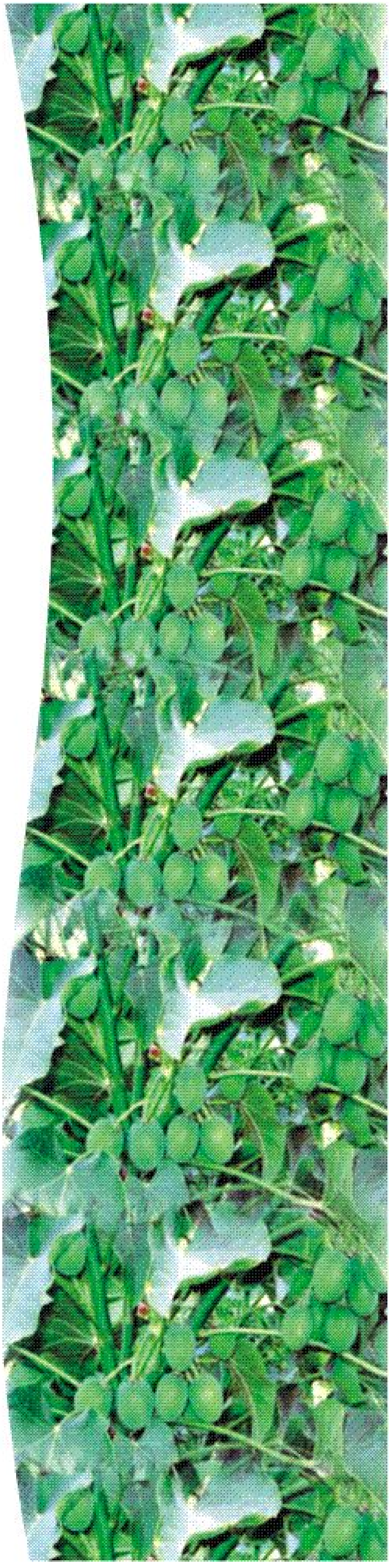

(ग) आवंटिती समस्त कर, जो समुचित विधियों के अधीन उद्गृहणीय हो, का संदाय करने का दायी होगा;

(घ) आवंटिती इन नियमों के समस्त क्षेत्र के निबन्धनों और शर्तों और समय-समय पर यथा-संशोधित अन्य लागू विधियों का पालन करेगा;

(ङ) आवंटिती क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को नियोजन में अधिमान देगा;

(च) आवंटिती आवंटित भूमि का स्वयं उपयोग करेगा और भूमि का अन्तरण/उप-पट्टा नहीं करेगा;

(छ) आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली अपनाना अनिवार्य होगा;

(ज) आवंटिती आवंटन प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किये बिना स्थायी प्रकृति का कोई संनिर्माण नहीं करेगा;

(झ) कम्पनियों से भिन्न आवंटिती, जैव-ईंधन प्राधिकारी द्वारा नियम किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस जोन में अवस्थित कम्पनी को उपज का विक्रय करेगा;

(ञ) कम्पनी जैव-ईंधन प्राधिकारी द्वारा नियम किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस जोन में अवस्थित अन्य आवंटितियों से उपज का क्रय करेगा।

15. पट्टा विलेख का निष्पादन -

ऐसे मामले में जिसमें आवंटन पट्टाधृति आधार पर है आवंटिती प्रीमियम जमा कराने की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर प्रारूप 'ग' में पट्टे का करार निष्पादित करेगा। यदि आवंटिती उक्त कालावधि के भीतर करार निष्पादित करने में विफल रहता है तो आवंटन आदेश प्रतिसंहृत किया हुआ समझा जायेगा और प्रतिभूमि रकम समपहृत कर ली जायेगी।

16. बंधक की शर्तें - आवंटिती से भूमि के विकास के लिए निधियां जुटाने के लिए भूमि के किसी बंधक के लिए आवंटन प्राधिकारी से अनुज्ञा लेने की अपेक्षा की जायेगी जिसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:-

(1) भूमि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अनुसूचित बैंकों और राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को बंधक दी जा सकती है।

(2) 1 प्रतिशत बंधक फीस कलक्टर को दी जायेगी।

(3) राज्य सरकार का इस प्रकार बंधक की गयी भूमि पर प्रथम भार होगा।

17. भूमि का अभ्यर्पण -

यदि कोई आवंटिती उसे आवंटित भूमि का उपयोग करने में या अन्यथा असमर्थ रहता है जो वह किसी भी समय आवंटन प्राधिकारी को भूमि अभ्यर्पित कर सकेगा किन्तु उसके द्वारा जमा करायी गयी रकम प्रतिदत्त नहीं की जायेगी और उसके द्वारा भूमि के विकास के लिए उपगत व्यय के बदले कोई प्रतिकर संदत नहीं किया जायेगा।

18. आवंटन का रद्दकरण-

कलक्टर की सिफारिश पर राज्य सरकार भूमि का आवंटन रद्द कर सकेगी यदि आवंटिती द्वारा नियत समय में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है या यदि वह इन नियमों के अधीन विहित किन्हीं भी शर्तों का अतिक्रमण करता है और आवंटन के रद्दकरण पर, उक्त भूमि पर उपगत व्यय या किये गये किसी विकास के बदले किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि सभी विल्लंगमों से रहित राज्य सरकार को प्रवर्तित हो जायेगी। रद्दकरण के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 91 के अधीन अतिचारी समझा जायेगा और भूमि रिक्त करने तक प्रतिमास प्रति हैक्टर 1000/- रू. संदाय करने का भी दायी होगा। आवंटिती से शोध्य रही कोई रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

परन्तु ऐसा कोई आदेश पट्टेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

19. बंजर भूमि को पुन:प्राप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति-

जब कभी इन नियमों के अधीन आवंटित बंजर भूमि लोकहित में किसी अन्य विशेष प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो वह आवंटिती को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात भूमि को पुन: प्राप्त कर सकती है।

20. नियमों में निर्वचन-यदि इन नियमों के किसी नियम को लागू करने या उसके निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका विनिश्चिय राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा जिसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

21. निरसन और व्यावृत्तियां:-

(1) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996 इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समस्त अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से अतिष्ठित समझे जायेंगे।

(3) निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई या जारी किया गया कोई भी आदेश इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया समझा जायेगा।

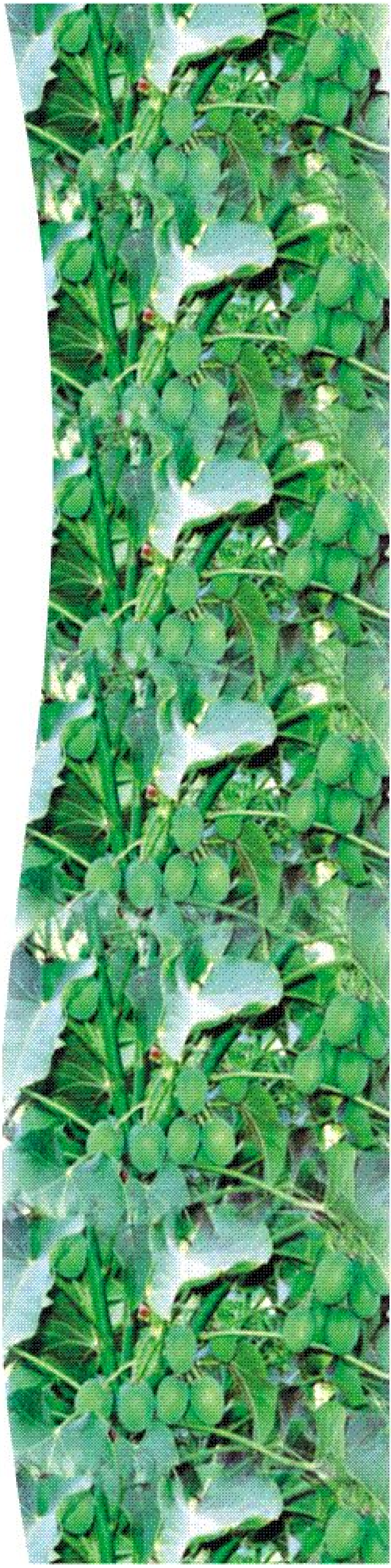

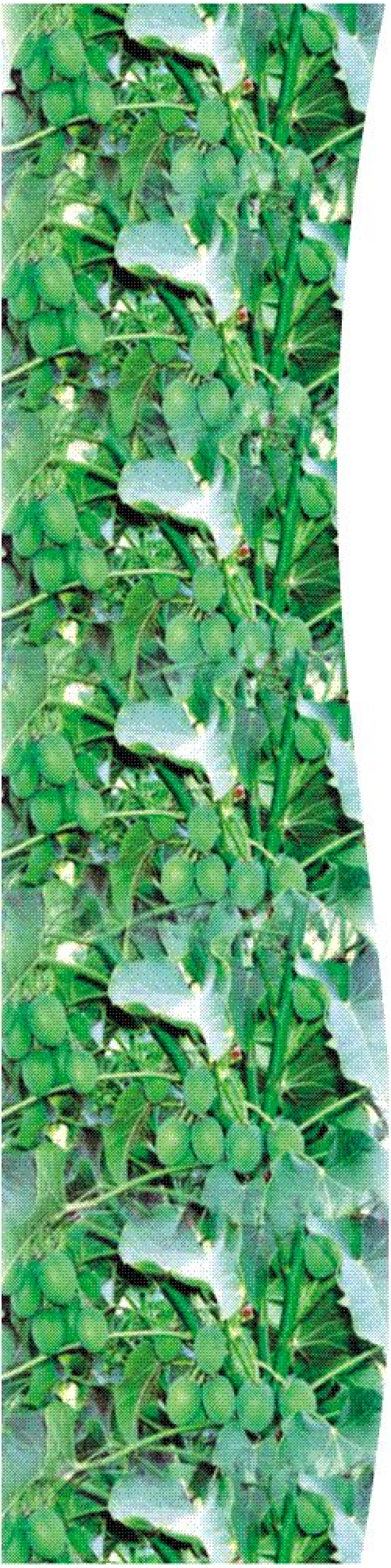

प्रारूप-क

(नियम 8 देखिए)

राजस्थान भू-राजस्व (जैव-ईंधन रोपण और जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के अधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदन

प्रेषितीः
शासन सचिव
राजस्व विभाग
राजस्थान, जयपुर/जिला कलक्टर

1. मैं/हम समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान भू-राजस्व (जैव ईंधन रोपण और जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के निबंधनों और शर्तों पर रोपण/और जैव ईंधन आधारित उद्योग की स्थापना के प्रयोजनार्थ लगभग ..... हैक्टर बंजर भूमि के आवंटन के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं और समय-समय पर प्रीमियम और पट्टा किराया यदि कोई हो, का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/है।
2. मैं/हम रजिस्ट्रीकरण फीस और प्रतिभूति धन के पेटे .... रू. का एक मांगदेय ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं. .... दिनांक .... इसके द्वारा इस समझ के साथ संलग्न करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें इस राशि पर कोई ब्याज संदेय नहीं है।
3. प्रस्तावित परियोजना का अपेक्षित ब्यौरा इसमें इसके पश्चात प्रस्तुत है।

1.	नामः	मैसर्स
2.	पूरा पता	....
3.	टेलीफोन सं. यदि कोई हो	
4.	कृषि सहकारी समिति/ग्राम वन सुरक्षा और प्रबंध समिति/कम्पनी/ग्राम पंचायत/सोसायटी और सरकारी उपक्रम/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह का गठन	भागीदारों/संप्रवर्तकों/कार्यकारिणी समिति इत्यादि के सदस्यों के नाम
5.	परियोजना का प्रकार और लागत	
6.	भूमि की आवश्यकता और उपयोग (क) तिलहन का रोपण (ख) औद्योगिक इकाई, गोदाम/कार्यालय (ग) कोई अन्य ब्यौरा	
7.	भूमि पर क्रियाकलाप (क) विनिर्मित किया जाने वाला उत्पाद (ख) लगाये जाने वाले श्रमिकों की संख्या (ग) उत्पादन क्षमता	

8.	संलग्न दस्तावेजों की प्रतिलिपियां	1. निगमन विलेख 2. बंजर भूमि का स्थल रेखांक 3. परियोजना रिपोर्ट 4. जैव ईंधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन प्रसंस्करण इकाई यदि कोई हो, का भवन रेखांक। 5. उप-विधियों/संगम अनुच्छेद/ भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (जहां कहीं लागू हो)

स्थान : नाम और पद नाम आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

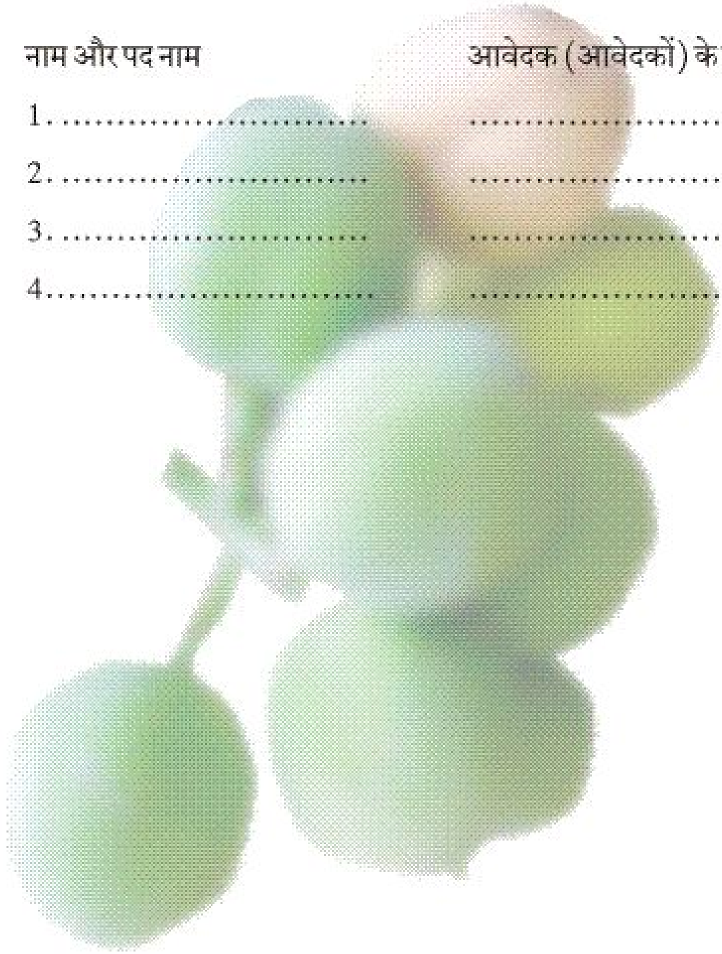

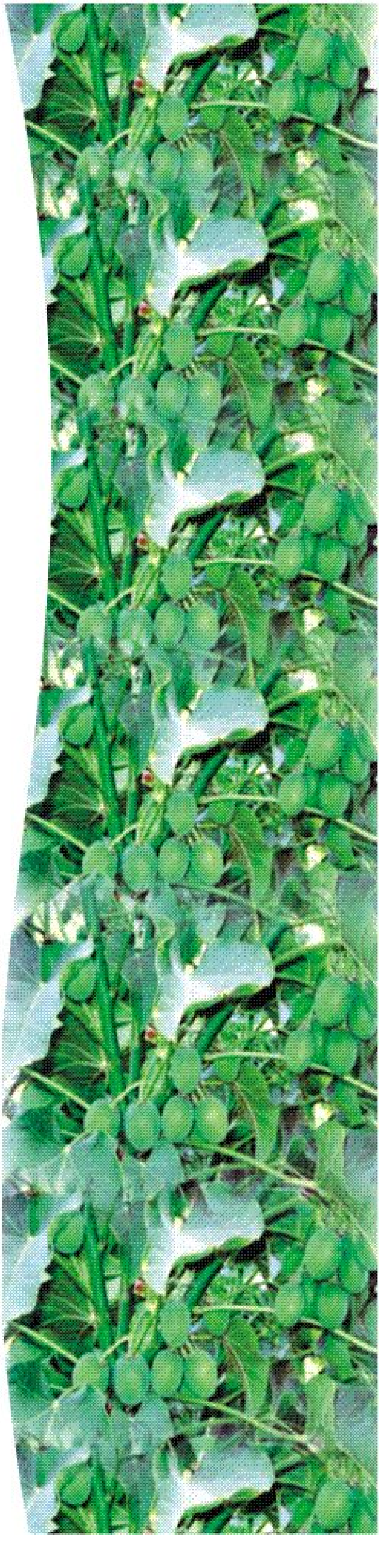

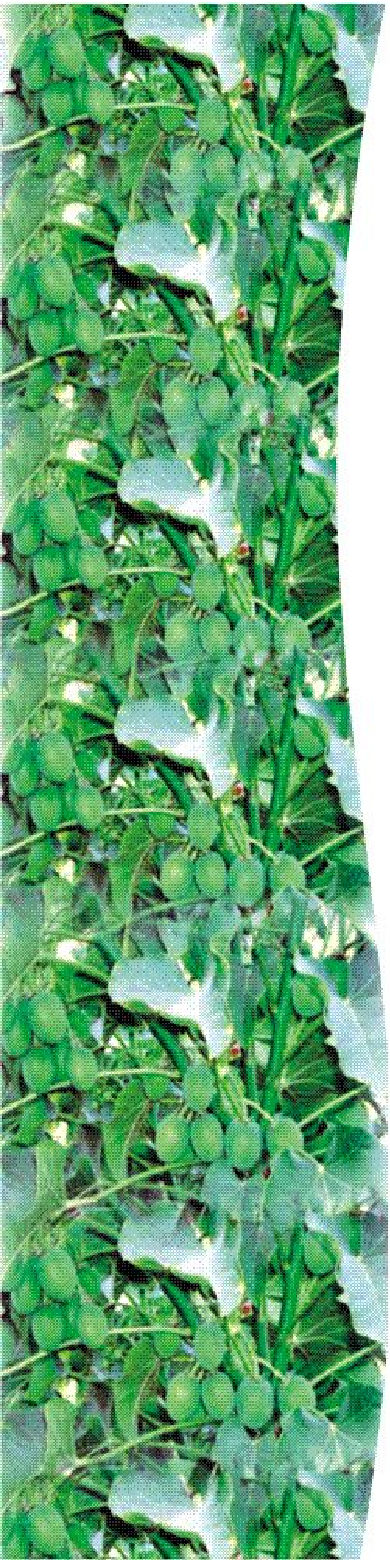

प्रारूप-ख

(नियम 9 देखिए)

राजस्थान सरकार

सं. तारीखः..................

श्री ....

....

आवंटन का आदेश

विषयः- जैव-ईंधन रोपण, और जैव ईंधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन के लिए बंजर भूमि का आवंटन।

संदर्भ :- आपका आवेदन तारीख ....

आपको निम्नलिखित भूमि पट्टाधृति आधार पर/गैर खातेदारी आधार पर आवंटित की गयी है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल

आवंटन राजस्थान-भू-राजस्व (जैव ईंधन रोपण और जैव-ईंधन आधारित और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर किया जाता है:-

(1) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जायेगी जिसके लिए वह आवंटित की गयी है। तथापि, आवंटिती, आवंटित क्षेत्र का 2 या 10 हैक्टर भूमि, इनमें से जो भी कम हो, कच्ची सामग्री के भंडारण, तैयार माल के भंडारण, श्रमिक आवास और कारखाना शैड के लिए उपयोग में ला सकेगा।

(2) आवंटिती को उस तारीख से जिसको कब्जा सौंपा गया है, दो वर्ष के भीतर भूमि के 50 प्रतिशत को रोपण के उपयोग में लाना होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः ही रद्द हुआ समझा जायेगा।

(3) आवंटिती समस्त कर, जो समुचित विधियों के अधीन उदगृहणीय हों, का संदाय करने का दायी होगा।

(4) आवंटिती, समय-समय पर यथा-संशोधित राजस्थान भू-राजस्व (जैव ईंधन रोपण और जैव-ईंधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के समस्त निबन्धनों और शर्तों का और अन्य लागू विधियों का पालन करेगा।

(5) पट्टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में आवंटिती पट्टा विलेख की समस्त शर्तों का पालन करेगा।

(6) पट्टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में-

(1) पट्टेदार, नियम 10 में यथा-विहित बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के लिए विहित जि.स्त.सं. की दर के 20 प्रतिशत के समतुल्य प्रीमियम जमा करायेगा।

(2) किराया, उस तहसील में बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के भू-राजस्व के 10 गुने की दर से संदेय होगा।

(3) राज्य सरकार किसी भी समय वार्षिक पट्टा किराया पुनरीक्षित कर सकेगी जो पट्टेदार द्वारा संदेय होगा।

(4) एक वर्ष का प्रीमियम और किराया 30 दिन के भीतर या 60 दिन तक की बढ़ी हुई अवधि के भीतर खजाने में जमा कराया जायेगा और वार्षिक किराया प्रतिवर्ष .... (तारीख) के पूर्व संदत्त किया जायेगा।

(7) गैर खातेदारी आधार पर आवंटन की दशा में आवंटिती को ऐसे आवंटन से कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे।

(8) आवंटिती प्रीमियम जमा कराये जाने के 15 दिन के भीतर संबंधित पटवारी से आवंटित भूमि का कब्जा लेगा।

(9) आवंटन, समय-समय पर 10 वर्ष की और कालावधि के नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। आवंटन प्राधिकारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से नवीकरण से इनकार करने का अधिकार होगा।

(10) यदि राज्य सरकार को लोकहित में, अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि अपेक्षित है जो वह आवंटिती को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात भूमि का कब्जा ले सकेगी।

(11) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की यह राय हो कि आवंटिती या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का भंग किया है तो सरकार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवंटन निरस्त कर सकेगी।

(12) आवंटिती या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी के भंग होने पर, बंजर भूमि के नये आवंटन पर सरकार को हुई कोई हानि पट्टेदार से वसूलीय होगी।

(13) आवंटिती क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को नियोजन में अधिमान देगा।

(14) आवंटिती, आवंटित भूमि का स्वयं उपयोग करेगा और भूमि का अन्तरण/उप-पट्टा नहीं करेगा।

(15) आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली अपनाना अनिवार्य होगा।

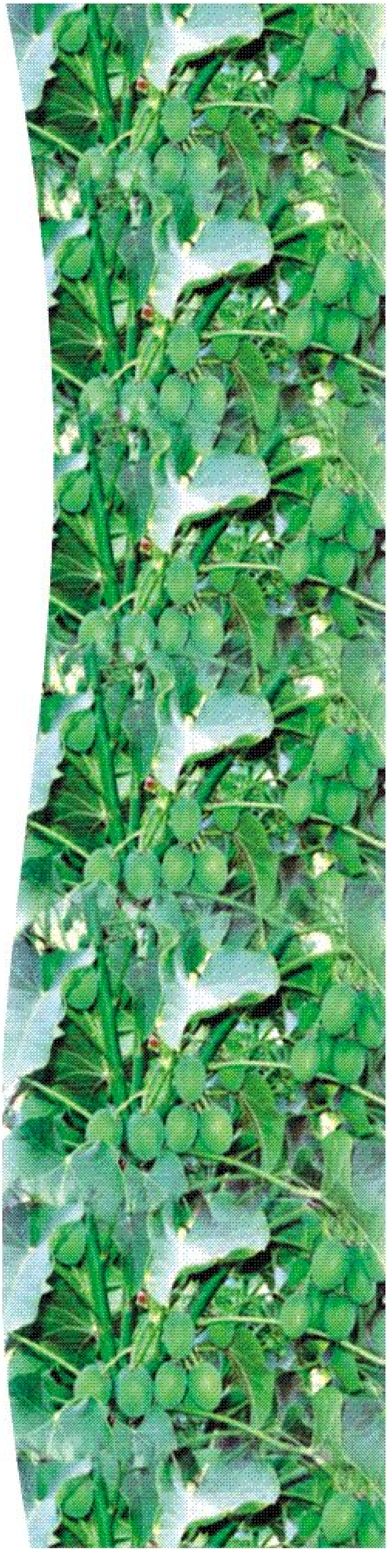

(16) आवंटिती, आवंटन प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभि-प्राप्त किये बिना स्थायी प्रकृति का कोई संनिर्माण नहीं करेगा।

(17) आवंटिती जैव-ईंधन प्राधिकारी द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जोन में अवस्थित कम्पनी को उत्पाद का विक्रय करेगा।

पट्टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में पट्टा विलेख, प्रीमियम जमा कराये जाने की तारीख से दो मास के भीतर निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

कलक्टर/शासन उप सचिव के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :

श्री .... (आवंटिती)

कम्पनी/सरकारी उपक्रम/सोसाइटी/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत/सहकारी सोसाइटियां।

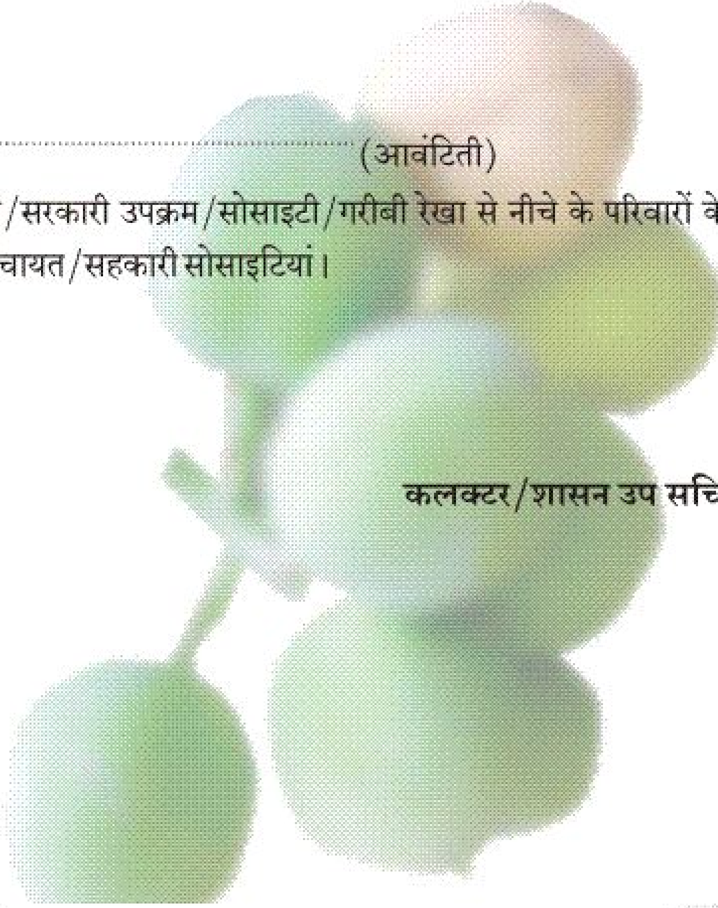

कलक्टर/शासन उप सचिव के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ग'

(नियम 15 देखिए)

पट्टा-विलेख

यह पट्टा विलेख एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे पट्टाकर्ता कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके वारिस, उत्तरवर्ती और अनुज्ञात समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में सरकारी उपक्रम/कम्पनी/सोसाइटी जिसका नाम और पता .... है (जिसे इसमें आगे पट्टेदार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तरवर्ती, निष्पादक, प्रशासक, विधिक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी है) के बीच आज तारीख .... को किया गया।

और यतः पट्टाकर्ता जैव ईंधन रोपण और जैव ईंधन आधारित औद्योगिकी और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात वर्णित निबंधनों और शर्तों पर पट्टेदार को पट्टे के आधार पर .... हैक्टर बंजर भूमि आवंटित करने के लिए सहमत हो गया है''

और यतः पट्टाकर्ता द्वारा पट्टांतरित भूमि का कब्जा दिनांक .... को पट्टेदार को दे दिया गया है या दिया जायेगा।

अब यह पट्टा करार निम्नलिखित का साक्षी है:

1. इसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और करार के और पट्टेदार द्वारा वार्षिक पट्टा किराया के रूप में .... रू. और प्रीमियम के रूप में .... रू. के संदाय के प्रतिफलस्वरूप जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है पट्टाकर्ता उपाबंध 'क' में दिये गये ब्यौरे के अनुसार .... हैक्टर भूमि पट्टेदार को इसके द्वारा पट्टांतरित करता है।

और पट्टेदार निम्नलिखित और रूप में पट्टाकर्ता से इसके द्वारा प्रसंविदा करता है:-

1. यह कि पट्टेदार भूमि के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित ऐसे सभी सेवा प्रभारों का वहन, संदाय और उन्मोचन करेगा जो उक्त अवधि के दौरान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, प्रभारित, उदगृहीत या अधिरोपित और पुनरीक्षित किया जायें।
2. यह कि पट्टेदार सक्षम प्राधिकारी के ऐसे समस्त निकायों/विनियमों/आदेशों का पालन करेगा जहां तक वे स्थावर सम्पत्ति से संबंधित है या उस स्थान के अन्य निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा को प्रभावित करते हैं।
3. यह कि पट्टेदार स्थल रेखांक के अनुसार पटटांतरित परिसर पर औद्योगिक इकाई स्थापित करेगा, और दो वर्ष की कालावधि के भीतर संनिर्माण संकर्म पूर्ण करेगा और कब्जा परिदत्त किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर (50 प्रतिशत प्रथम दो वर्ष में और शेष 50 प्रतिशत तीसरेवर्ष में) रोपण करेगा।

   परन्तु यह कि बंजर भूमि की अनुपयोजित भूमि रोपण/जैव ईंधन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए विहित कालावधि के अवसान के पश्चात पट्टाकर्ता को प्रतिवर्तित हो जायेगी।
4. यह कि पट्टेदार ऐसे सभी उपाय करेगा जो प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपेक्षित हों और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू अनुबंधों और तत्समय प्रवृत अन्य कानूनी प्रदूषण विधि/पर्यावरण विधि का कठोरता से पालन करेगा।

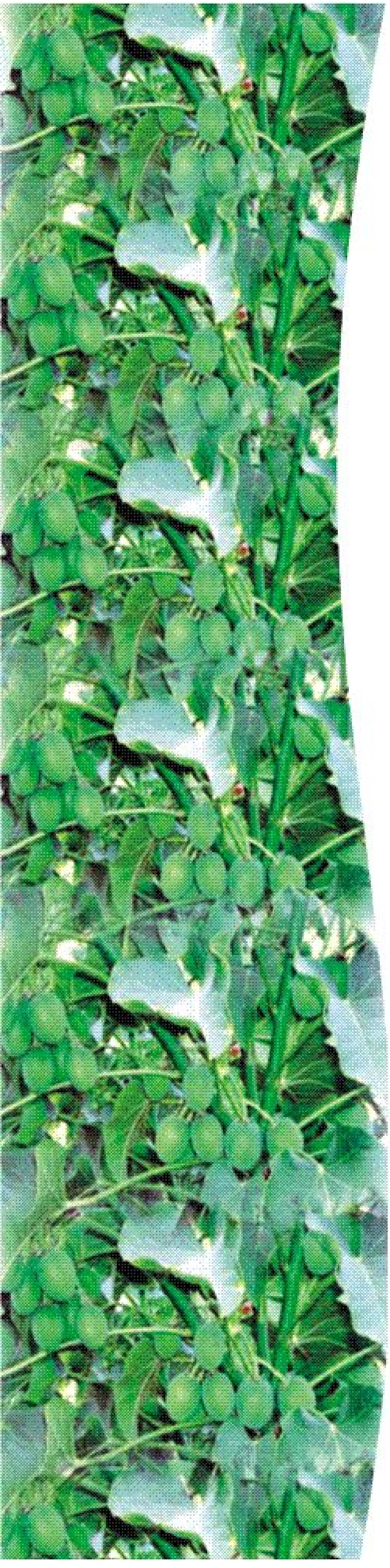

5. यह कि पट्टदार, समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान भू-राजस्व (जैव ईंधन रोपण और जैव आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के समस्त उपबन्धों का पालन करेगा।
6. यह कि पट्टाधृति आधार पर आवंटित बंजर भूमि समय-समय पर 10 वर्ष की और कालावधि के नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगी और आवंटन प्राधिकारी को लिखित में अभिलिखित कारणों से पट्टे के नवीकरण से इनकार करने का अधिकार होगा।
7. यह कि यदि इन नियमों के अधीन आवंटित बंजर भूमि राज्य सरकार को लोकहित में किसी अन्य विशेष प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो वह आवंटिती/पट्टेदार को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात वापस ले सकेगी।
8. इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी पट्टाकर्ता की यह राय है कि पट्टेदार की ओर से या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की ओर से इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का कोई भंग हुआ है तो पट्टेदार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पट्टा करार समाप्त कर सकेगा।
9. पट्टेदार की ओर से या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति की ओर से उपुर्यक्त शर्तों के भंग के लिए पट्टाकृत परिसरों की नयी मंजूरी पर पट्टाकर्ता को होने वाला कोई नुकसान पट्टेदार से वसूलीय होगा।
10. इसके अधीन तामील किये जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस या संसूचना पट्टेदार पर पर्याप्त रूप से तामील की हुई समझी जायेगी यदि तामील पट्टाकर्ता के किसी अधिकारी द्वारा ''रजिस्ट्री रसीदी डाक द्वारा देय '' डाक में डाली गयी या हस्ताक्षरित की गयी है और उस समय जब रजिस्ट्रीकृत पत्र सामान्य अनुक्रम में परिदत्त कर दिया गया हो, तामील किया हुआ माना जायेगा चाहे पट्टेदार द्वारा इन्कार करने के कारण या अन्य किसी कारण से तामील हुए बगैर लौटे।
11. कम्पनी जैव-ईंधन प्राधिकरण द्वारा नियत न्यूनतम समर्थित कीमत पर जोन में स्थित अन्य आवंटियों से उत्पाद क्रय करेगी।
12. पट्टा करार में अन्तर्विष्ट किसी शर्त के जब कभी भंग हो जाने पर निक्षिप्त प्रतिभूति समपहृत हो जायेगी।

    इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने तारीख .... को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
13. इस करार का स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रचार पट्टेदार द्वारा वहन किये जायेंगे।

हस्ताक्षर **हस्ताक्षर**

सरकारी/उपक्रम/कम्पनी
सोसाइटियों की ओर से

राजस्थान राज्य के
राज्यपाल की ओर से

साक्षी

(1)

(2)

राज्यपाल के आदेश से
(के.जी. अग्रवाल)
शासन उपसचिव

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.8(21) वन/2005 जयपुर, दिनांक 10.07.2007

प्रेषित :-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

राजस्थान, जयपुर

विषय :- पड़त एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत् दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने हेतु मंत्री मण्डल आज्ञा 1/2007 द्वारा राज्य की बायोफ्यूल नीति का अनुमोदन किया गया है। उक्त नीति की पालना में आप द्वारा अपने पत्र एफ 1(70)06-07/विकास/प्रमुवसं/4802 दिनांक 22.5.2007 व पत्रांक 6033 दिनांक 27.6.2006 से प्रस्तावित ''पड़त एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत् दिशा-निर्देश'' व संलग्नक परिशिष्ट 1 से 3 पर राज्य सरकार की सहमति देते हुए एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया इन दिशा-निर्देशों को सभी संबंधित को भेज अधिक से अधिक प्रचार कराके इसकी पालना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सी.एस.रत्नासामी)

विशिष्ठ शासन सचिव

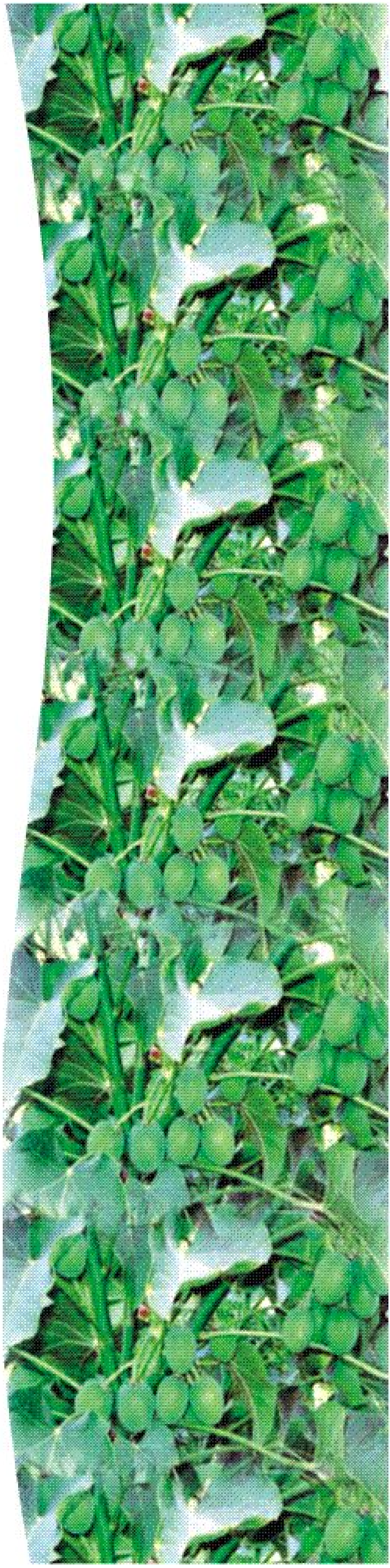

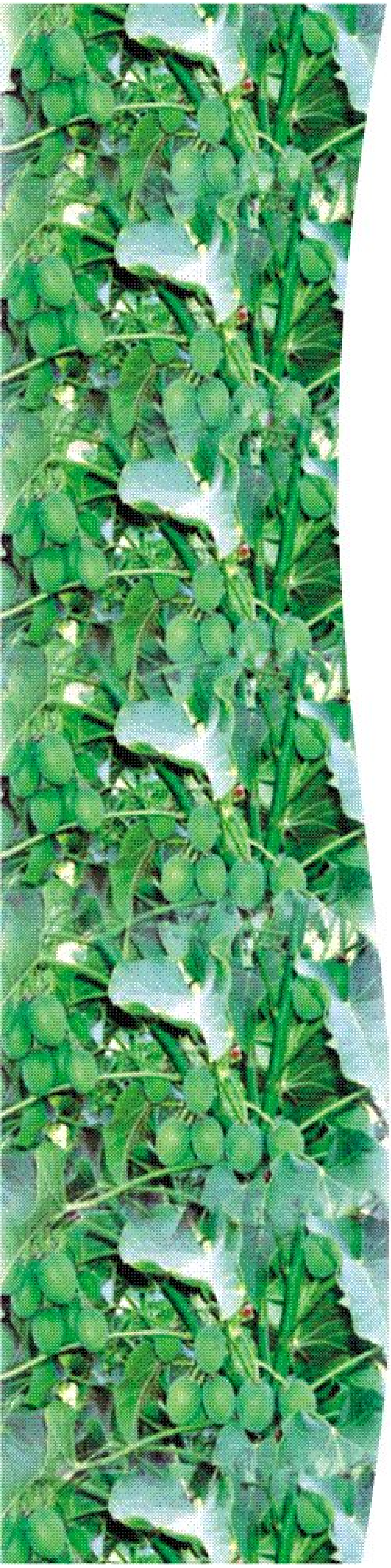

पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत् दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य

बायोडीजल परियोजना का उदेश्य विभाग की पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि रतनजोत एवं करंज के पौधों का रोपण किया जाकर इस तरह का प्राकृतिक संसाधन का विकास कर लिया जावे कि इन प्रजातियों से प्रचुर मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके एवं इन बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जा सके।

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र परिभ्रांषित स्थिति में है, जिस पर वृक्षारोपण कर हरा भरा करने के साथ-साथ क्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बायोडीजल उत्पन्न करने वाली स्थानीय प्रजातियां जैसे रतनजोत एवं करंज आदि का रोपण किया जा सकता है।

रतनजोत (जैट्रोफा करकस) को सफेद अरण्ड, चन्द्रजोत आदि नामों से भी जाना जाता है। यह शुष्क सहनशील बहुवर्षीय पौधा है जो कमजोर मृदा वाले क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से लग जाता है। रतनजोत के पौधे पांच से छः वर्ष में लगभग 4 से 5 मीटर तक उंचाई प्राप्त कर लेते हैं तथा इनकी आयु लगभग 40 वर्ष मानी जाती है, इसके बीज अरण्ड के बीज जैसे परन्तु कुछ छोटे होते हैं तथा पौधा तीसरे वर्ष में बीज उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। एक लीटर तेल प्राप्त करने के लिए लगभग साढे तीन किलो बीजों की आवश्यकता होती है।

2. रतनजोत एवं तेलीय पौधे उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

राजस्थान में मुख्यतः रतनजोत एवं करंज के तेल का उपयोग बायोडीजल के रूप में करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। इन प्रजातियों के रोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र निम्न हैः-

2.1 रतनजोत उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

रतनजोत मुख्यतया निम्न जिलों में उगाया जा सकता हैः-

1. उदयपुर
2. राजसमन्द
3. भीलवाड़ा
4. सिरोही
5. चित्तौड़गढ
6. कोटा
7. बांरा
8. बून्दी
9. झालावाड़
10. बांसवाड़ा
11. डूंगरपुर

उपरोक्त जिलों में प्राकृतिक रूप से रतनजोत वनों में पाया जाता है। इसलिए इन जिलों में रतनजोत को प्रोत्साहित किया जाना उपयुक्त है।

पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत् दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य

बायोडीजल परियोजना का उद्देश्य विभाग की पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि रतनजोत एवं करंज के पौधों का रोपण किया जाकर इस तरह का प्राकृतिक संसाधन का विकास कर लिया जावे कि इन प्रजातियों से प्रचुर मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके एवं इन बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जा सके।

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र परिभ्रांषित स्थिति में है, जिस पर वृक्षारोपण कर हरा भरा करने के साथ-साथ क्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बायोडीजल उत्पन्न करने वाली स्थानीय प्रजातियां जैसे रतनजोत एवं करंज आदि का रोपण किया जा सकता है।

रतनजोत (जैट्रोफा करकस) को सफेद अरण्ड, चन्द्रजोत आदि नामों से भी जाना जाता है। यह शुष्क सहनशील बहुवर्षीय पौधा है जो कमजोर मृदा वाले क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से लग जाता है। रतनजोत के पौधे पांच से छः वर्ष में लगभग 4 से 5 मीटर तक उंचाई प्राप्त कर लेते हैं तथा इनकी आयु लगभग 40 वर्ष मानी जाती है, इसके बीज अरण्ड के बीज जैसे परन्तु कुछ छोटे होते हैं तथा पौधा तीसरे वर्ष में बीज उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। एक लीटर तेल प्राप्त करने के लिए लगभग साढे तीन किलो बीजों की आवश्यकता होती है।

2. रतनजोत एवं तेलीय पौधे उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

राजस्थान में मुख्यतः रतनजोत एवं करंज के तेल का उपयोग बायोडीजल के रूप में करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। इन प्रजातियों के रोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र निम्न हैः-

2.1 रतनजोत उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

रतनजोत मुख्यतया निम्न जिलों में उगाया जा सकता हैः-

1. उदयपुर
2. राजसमन्द
3. भीलवाड़ा
4. सिरोही
5. चित्तौड़गढ
6. कोटा
7. बांरा
8. बून्दी
9. झालावाड़
10. बांसवाड़ा
11. डूंगरपुर

उपरोक्त जिलों में प्राकृतिक रूप से रतनजोत वनों में पाया जाता है। इसलिए इन जिलों में रतनजोत को प्रोत्साहित किया जाना उपयुक्त है।

2.2. करंज उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

करंज उगाने के लिए उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त निम्न जिले जहां वर्षा 400 एम.एम. से अधिक है वहां करंज का रोपण किया जा सकता है।

1. अलवर
2. भरतपुर
3. दौसा
4. जयपुर
5. धौलपुर
6. करौली
7. सवाई माधोपुर
8. टोंक

करंज ऐसे क्षेत्रों में भी रोपित किया जा सकता है जहां पानी का भराव होता है।

2.3 वन भूमि जहां पर परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा सकेगी:-

2.3.1 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र तथा सघन वन क्षेत्र

2.3.2 ऐसी वन भूमि जिस पर विभाग द्वारा किसी परियोजना विशेष के तहत वन विकास कार्य करवाये जा रहे हों या भविष्य में करवाया जाना प्रस्तावित हो।

3. वृक्षारोपण विधि

रतनजोत के पौधे सीधे बीज बुवाई से, कटिंग लगाकर तथा नर्सरी में तैयार पौधों के रोपण से इन्टरक्रोपिंग के आधार पर किये जा सकते हैं। करंज का रोपण नर्सरी में तैयार पौधों के माध्यम से अथवा सीधे बीज बुवाई द्वारा किया जा सकता है। रतनजोत/करंज को वृक्षारोपण की बाडबन्दी पर तथा कन्टूर ट्रेंचों /विडिज पर मध्यम ढलान तक रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण कार्यों में कार्य स्थल की उपयुक्तता के अनुरूप मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। रतनजोत एवं करंज का मोनो कल्चर नहीं किया जा सकेगा।

4. वन सुरक्षा समिति द्वारा वृक्षारोपण

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सामान्यतया 50 हैक्टेयर में एक वर्ष में वृक्षारोपण करेगी, लेकिन क्षेत्र की उपलब्धता होने पर अधिकतम 200 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण स्वीकृत परियोजना के अनुसार कर सकेगी।

5. वन विकास अभिकरण द्वारा वृक्षारोपण

वन विकास अभिकरण द्वारा 500 हैक्टेयर या उपलब्धतानुसार इससे अधिक क्षेत्र में स्वीकृत परियोजना के अनुसार वृक्षारोपण किया जा सकता है।

6. नीतिगत प्रावधान

वन भूमि पर तेलीय पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर तेल देने वाले पौधे क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली स्थानीय वनस्पति के रूप में विद्यमान है तथा इनका रोपण क्षेत्र के समग्र वृक्षारोपण का भाग है व रतनजोत तथा करंज को मोनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति भारत सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य के साझा वन प्रबन्ध दिशा-निर्देश 17.10.2000 के अन्तर्गत नागरिक समुदाय की अन्य संस्थाओं यथा स्वयं सेवी संस्थायें

(एन.जी.ओ.) सहकारी समितियां, पंचायतें इत्यादि से भी वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु योगदान प्राप्त किया जाये। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अतिरिक्त यदि कोई स्वयं सेवी संस्था बिना किसी अधिकार/लाभ प्राप्त करने की शर्त पर वनों के संरक्षण एवं विकास में सहयोग देना चाहती हो तो इस प्रकार के सहयोग प्राप्त करने में वन विभाग को आपत्ति नहीं होगी।

7. पात्रता

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कम्पनी, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत समिति अथवा राजकीय उपक्रम आदि जो राज्य के पडत एवं परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में बायोडीजल वृक्षारोपण करना चाहती हैं एवं इस हेतु आवश्यक संसाधन रखती है तथा वांछित निवेश करने की इच्छुक हैं।

8. क्रियान्वयन प्रक्रिया

बायोफ्यूल वृक्षारोपण हेतु बायोफ्यूल ऑथोरिटी नोडल एजेन्सी का कार्य करेगा तथा तकनीकी मार्गदर्शन वन विभाग द्वारा दिया जायेगा। कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम जो बायोडीजल वृक्षारोपण परियोजना का इच्छुक हो, द्वारा विस्तृत बायोडीजल परियोजना तैयार की जायेगी एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ परियोजना रिपोर्ट बायोफ्यूल ऑथोरिटी को आवेदन पत्र (परिशिष्ठ-3) में प्रेषित की जायेगी। जिले वार पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि की सूचना संबंधित उप वन संरक्षक से प्राप्त की जा सकेगी।

8.1. सुसंगत अभिलेखों में निम्न दस्तावेज शामिल हैं:-

परियोजना रिपोर्ट, (क्षेत्र का विवरण एवं नक्शा, रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या एवं अन्य प्रजातियां जो लगाई जायेगी का विवरण, अनुमानित लागत)

8.2 प्रार्थना पत्रों की जांच विश्लेषण आदि का कार्य विभाग द्वारा 60 दिवस की अवधि में पूर्ण करना होगा। इस अवधि में संबंधित वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा साधारण सभा में निर्णय करवाकर परियोजना को उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में बॉयोफ्यूल ऑथोरिटी को तकनीकी अनुशंषा तथा संबंधित साधारण सभा के अनुमोदन संबंधी सूचना के साथ प्रेषित कर दी जायेगी। यदि किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में एक से अधिक कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम आदि आवेदन करती हैं तो ऐसे प्रकरणों में कम्पनियों की क्षमता एवं परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी उपयुक्तता को दृष्टिगत रखे हुए उप वन संरक्षक द्वारा एक कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम आदि की अनुशंषा कर बॉयोफ्यूल ऑथोरिटी को अन्तिम निर्णय के लिए प्रेषित किया जायेगा।

8.3 बॉयोफ्यूल ऑथोरिटी सक्षम स्तर पर अनुमोदनोपरान्त क्रियान्वयन हेतु कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम की परियोजना संबंधित उप वन संरक्षक को प्रेषित कर दी जायेगी।

8.4 तत्पश्चात संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

8.5 वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के नियमानुसार अनुमोदन उपरान्त निवेश कर्ता के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (परिशिष्ठ-1) का निष्पादन किया जायेगा। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति बाबत एम.ओ.यू. वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा तथा वन विकास अभिकरण द्वारा एम.ओ.यू. वन विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों को वृक्षारोपण हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को राशि उपलब्ध करानी होगी। क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार रतनजोत एवं करंज के रोपण के साथ-साथ अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण भी करवाया जाना वांछनीय होगा। संस्थाओं द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में बायोडीजल वृक्षारोपण किये जा सकेंगे जहां रतनजोत एवं करंज प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं तथा इन प्रजातियों का रोपण क्षेत्र विशेष समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है।

8.5.1 एम.ओ.यू. 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा जो तीनों पक्षों की सहमति से बढाया जा सकेगा।

8.5.2 जो कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम अनुसंधान एवं अनुवांशिकीय सुधार पर कार्य करने की इच्छुक होगी तथा जिनके पास इस हेतु उपयुक्त संसाधन होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

8.5.3 वृक्षारोपण से प्राप्त रतनजोत के बीजों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों द्वारा क्रय किया जायेगा। वन सुरक्षा समिति रतनजोत/करंज के बीजों को कम्पनी को ही बेचेगी तथा अन्य लघु वन उपज का लाभ राज्यादेश 17.10.2000 (परिशिष्ठ-2) के अनुसार प्राप्त कर सकेंगी।

8.5.4 रतनजोत आच्छादित 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में एक ही कम्पनी ट्रांसइस्टेरिफिकेशन प्लान्ट लगायेगी।

9. वृक्षारोपण हेतु शर्तें

कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम को निम्न शर्तों की पालना करनी होगीः

9.1 पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है जिसका स्वामित्व (Ownership) वन विभाग के पास सदैव होगा।

9.2 वृक्षारोपण के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जायेगा लेकिन जल संरक्षण के कार्य जैसे एनिकट निर्माण, नाडी निर्माण कार्य करवाया जा सकेगा।

9.3 वृक्षारोपण क्षेत्र में केवल बायोडीजल प्रजातियों का रोपण (मोनोकल्चर) किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा। बायोडीजल प्रजातियों का रोपण उक्त क्षेत्र की समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग होगा।

9.4 बायोफ्यूल बीज के अतिरिक्त क्षेत्र से मिलने वाली अन्य वन उत्पाद पर निवेशकर्ता का कोई हक नहीं होगा।

9.5 पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि केवल वृक्षारोपण कार्य हेतु काम में ली जावेगी तथा रतनजोत या करंज का वृक्षारोपण/बीजारोपण वन विभाग द्वारा तैयार किये गये वृक्षारोपण मॉडल के अनुसार किया जावेगा।

9.6 रोपण हेतु धनराशि कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा प्रजातियों का रोपण एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।

9.7 बायोडीजल वृक्षारोपण कार्य, क्षेत्र की देखभाल एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।

9.8 वन विकास कार्य को समिति किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगी।

9.9 किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का समाधान संबंधित वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा।

9.10 संबंधित पक्ष यदि वन संरक्षक के निर्णय से सहमत नहीं हो तो मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर अपील कर सकेंगे एवं मुख्य वन संरक्षक का फैसला अन्तिम होगा।

9.11 बायोफ्यूल आथोरिटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।

9.12 इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।

9.13 समस्त विवादों का निपटारा राजस्थान राज्य के न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित सक्षम न्यायालयों में ही किया जा सकेगा।

परिशिष्ठ-3

पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण करने बाबत

आवेदन पत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बायोफ्यूल ऑथोरिटी,
राजस्थान, जयपुर

1. मैं/हम पडत/परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण .... (जिला/वन मण्डल) क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/वन विकास अभिकरण एवं वन विभाग के सहयोग से करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार आवेदन करते हैं।

2. प्रस्तावित परियोजना

(1) आवेदक का नाम:

(2) पूर्ण पता :

(3) फोन नं. :

(4) कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम के संबंध में जानकारी :

(5) अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पता :

(6) परियोजना की अनुमानित लागत :

(7) परियोजना स्थापित करने का स्थान

नाम वन खण्ड एवं कम्पार्टमेन्ट:

नाम रैंज :

जिला :

क्षेत्रफल :

प्रस्तावित वन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

रोपित की जाने वाले पौधों की प्रजातिवार अनुमानित संख्या

(8) संलग्न दस्तावेज:

1. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

2. वृक्षारोपण का साईट प्लान

3. पंजीयन प्रमाण पत्र

4. पंजीयक अधिकारी का नाम, पद एवं संस्था का नाम

5. गत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर रिपोर्ट

6. वृक्षारोपण/बायोफ्यूल संबंधी कार्यों के अनुभव का विवरण

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : ....

करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में .... (कम्पनी/सहकारी समिति/राजकीय उपक्रम का नाम) की ओर से .... (अधिकृत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम) (जिसे इसमें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं जब तक की विषय या संदर्भ से ऐसे अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है), दूसरे पक्षकार के रूप में .... (ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/वन विकास अभिकरण का नाम) जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, की ओर से .... (अध्यक्ष का नाम) (जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) ; और तीसरे पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल की ओर से .... (संबंधित उप वन संरक्षक का नाम एवं पद नाम) (जिन्हें इसमें आगे राज्य सरकार कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि विषय या संदर्भ से ऐसा अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के मध्य आज दिनांक .... को किया गया है। यह कि द्वितीय पक्ष निम्न वर्णित वन भूमि, जिस पर राज्य सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण योजना के अनुसार वृक्षारोपण, विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध कार्य करने हेतु सहमत है।

वन भूमि का वर्णन

नाम जिला .... मण्डल .... रेंज .... नाका .... बीट .... वन खण्ड कम्पार्टमेन्ट .... क्षेत्रफल .... सीमांकन...................... उत्तर .... पूर्व .... दक्षिण .... पश्चिम...................

यह कि प्रथम पक्ष उक्त वृक्षारोपण कार्य हेतु व्यय होने वाली समस्त राशि राज्य सरकार को देने हेतु सहमत है। यह कि रतनजोत/करंज के पौधे उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली स्थानीय वनस्पति के रूप में विद्यमान है तथा इन प्रजातियों का रोपण उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है। यह कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार अन्य प्रजातियों के रोपण के साथ रतनजोत/करंज का रोपण भी समग्र वृक्षारोपण परियोजना के अनुसार करवाया जावेगा।

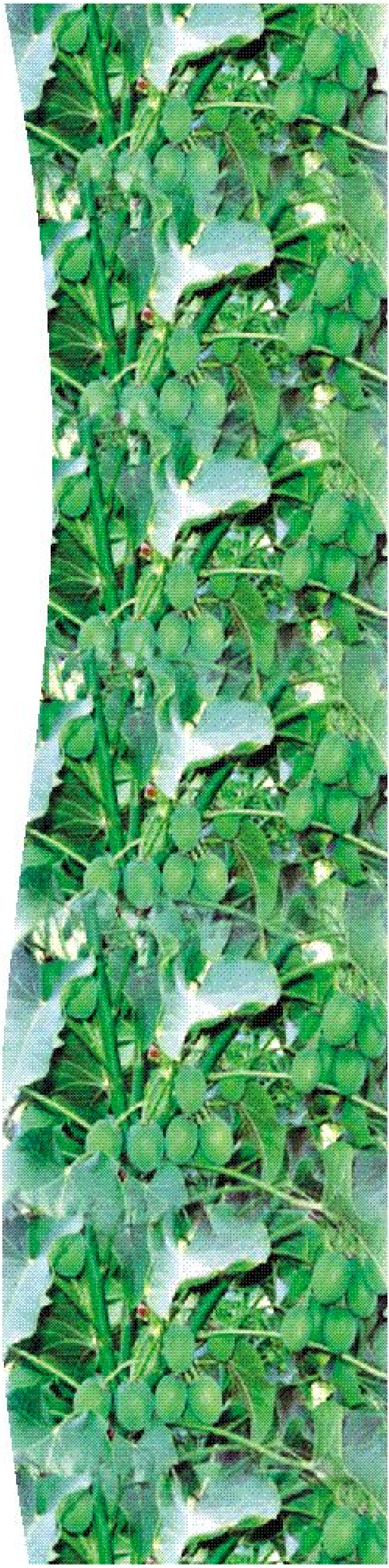

अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:-

1. रतनजोत/करंज एवं अन्य वानिकी प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु प्रथम पक्ष, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल की दर से संपूर्ण राशि अग्रिम रूप से राज्य सरकार को देगा जो कि उपरोक्त राशि को आवश्यकतानुसार द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगा। यह राशि प्रथम पक्ष को न तो वापस देय होगी और न ही बीजों के क्रय के समय समयोजित की जावेगी।

2. उक्त वृक्षारोपण का कार्य इस करार के हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।

3. राज्य सरकार वृक्षारोपण हेतु उन्नत किस्म के बीज द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगी।

4. द्वितीय पक्ष, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये बीजों से उन्नत किस्म के पौधे तैयार करेगा तथा समस्त वृक्षारोपण राज्य सरकार के तकनीकी मार्गदर्शन में सम्पादित करेगा।

5. वृक्षारोपण तथा समस्त विकास कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं कराया जावेगा, उक्त कार्य किसी अन्य एजेन्सी/संस्था के माध्यम से नहीं कराया जावेगा।

6. उपरोक्त वर्णित वन क्षेत्र में रतनजोत/करंज को मनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जावेगा।

7. उक्त वन भूमि पर वृक्षारोपण के अतिरिक्त कोई गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जावेगा।

8. वृक्षारोपण क्रियान्वयन, देखभाल, प्रबंध, सुरक्षा एवं विकास की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

9. द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से प्राप्त रतनजोत/करंज के बीजों की पैदावार को बायोडीजल हेतु प्रथम पक्ष को प्रचलित बाजार दर पर उपलब्ध करायेगा तथा प्रथम पक्ष उक्त बीजों को क्रय करने हेतु बाध्य होगा।

10. उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से प्राप्त होने वाले बीजों को प्रचलित बाजार दर पर प्रथम पक्ष द्वारा क्रय नहीं करने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त बीजों का विक्रय अन्य व्यक्तियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा, प्रथम पक्ष किसी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

11. रतनजोत/करंज के विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीति/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।

12. प्रथम पक्ष को रतनजोत/करंज के बीजों के अतिरिक्त अन्य कोई वन उपज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

13. रतनजोत/करंज के बीजों के अतिरिक्त अन्य वन उपज का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी नीति/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा।

14. वन भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, पर पूर्ण स्वामित्व राज्य सरकार का रहेगा।

15. करार की अवधि निष्पादन की तिथि से 10 वर्ष तक के लिए होगी, जिसे तीनों पक्षों की सहमति से एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए दो बार बढाया जा सकेगा।

16. करार के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में मामला संबंधित मुख्य वन संरक्षक के पास निर्णय हेतु भेजा जावेगा, जिस पर उनका निर्णय अन्तिम होगा।

17. समस्त पक्षों द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा बायोफ्यूल आथोरिटी द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी निर्देशों की पालना की जावेगी।

हस्ताक्षर

(अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम)

प्रथम पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष का नाम)

द्वितीय पक्ष की ओर से

हस्ताक्षर

(उप वन संरक्षक का नाम)

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से

गवाह

1.

2.

3.

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक – एफ 7 (39) वन/90 दिनांक 17.10.2000

<u>राज्यादेश</u>

विषय :- परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहीन वन भूमि को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने की योजना।

राष्ट्रीय वन नीति (1988) के अनुसार स्थानीय लोगों एवं गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं को वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध में जोड़ने के प्रयास किये जाने चाहिए। यह कार्य साझा वन प्रबन्ध योजना से किया जा सकता है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहीन वन भूमि को पुनः हरा भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने हेतु समसंख्यक राज्य आदेश दिनांक 15.3.91, 20.3.97, 10.5.99, 20.11.99 व 20.6.2000 द्वारा जारी किये गये थे। उक्त आदेशों के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 28, 80 व 81 के अधीन ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का गठन एवं उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में राज्य आदेश दिनांक 10.5.99, 20.11.99 व 20.6.2000 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। साझा वन प्रबन्ध दिशा-निर्देश इस सिद्धान्त पर आधारित हैं कि ग्राम समुदाय वनों एवं वन भूमि के संरक्षण एवं प्रबन्ध के लिये तत्पर है क्योंकि उनकी आजीविका एवं स्वावलम्बिता इस प्रकार के सार्वजनिक संसाधनों के सुव्यवस्थित प्रबन्ध से लाभान्वित होती है। यह दिशा-निर्देश वन सुरक्षा समितियों को कई प्रकार के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) भी प्रस्तावित करते है। इसमें ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रेरित करने के लिये वन विभाग एवं स्थानीय समुदाय के साझा प्रयासों से विकसित की गई वन उपज में से समय-समय पर एवं अन्तिम विदोहन में से हिस्सा प्राप्त करने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इन्हें इस प्रकार से भी तैयार किया गया है कि इनके जरिये नागरिक समुदाय की अन्य संस्थाओं, जैसे कि स्वयं सेवी संस्थाऐं (एन.जी.ओ.) सहकारी समितियाँ, पंचायतें इत्यादि, से भी इस प्रकार का योगदान प्राप्त हो सके। यहि नहीं वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अलावा भी यदि कोई स्वयं सेवी संस्था बिना किसी अधिकार/लाभ प्राप्त करने की शर्त पर वनों के संरक्षण एवं विकास में सहयोग देना चाहती हों तो इस प्रकार के सहयोग प्राप्त करने में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तव में ऐसा योगदान जो कि एवज में किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है

उसे सहभागी के रूप में जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि साझा वन प्रबन्ध एक व्यापक स्तर का समुदाय का प्रयास बन सके।

मुख्य रूप से इन दिशा-निर्देश की यह भूमिका प्रस्तावित है कि इनके माध्यम से साझा वन प्रबन्ध एक जन अभियान के रूप में वन एवं वनभूमि की रक्षा एवं पुनर्वास के लिये उभरे और विभाग इस योगदान को सहर्ष स्वीकार करें। ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन भविष्य में इस आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावेगा :-

1. कार्य सम्पादन का माध्यम एवं प्रक्रिया

1.1 स्थानीय ग्रामवासियों की वन भूमि के विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध में सक्रिय सहभागीदारी प्राप्त करने की दृष्टि से क्षेत्र में कार्यरत संघ ट्री ग्रोवर्स को-ऑपरेटिव/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को वृक्षविहीन परिभ्रांषित/परिभ्रांषित होने के कगार पर अथवा परिभ्रांषित हो सकने वाली वन भूमि एवं राजकीय पडत भूमि (जो वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है) के टुकड़ों के विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध का दायित्व सौंपा जावेगा। इन भूमि को इस आदेश में बाद में वन भूमि कहा गया है। जिन क्षेत्रों में ऐसी समितियां नहीं होगी वहां विभागीय अधिकारी स्वयं अथवा गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ऐसी समितियों का गठन का प्रयास करेंगे।

1.2 यथा सम्भवत ये प्रयास किया जावेगा कि उपलब्ध कराई गई वन भूमि एक ही गांव की सीमा में आती हो जिससे एक गांव की एक इकाई बन सके। भूमि समीपस्थ गांव के लोगों की समिति को ही कार्य करने के लिए दी जावेगी। वन भूमि पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होगा।

1.3 जिस वन भूमि के टुकड़े में वन विकास/वन सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है उसमें वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वृक्षों/वन्य जीवों की सुरक्षा करने एवं समुचित प्रबन्ध का कार्य समिति वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों /अन्य तकनीति अधिकारी/गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों एवं ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों से वार्ता उपरान्त तैयार की गई प्रबन्ध योजना के अनुसार क्रियान्वित करेगी। यह प्रबन्ध योजना स्थानीय लोगों की वृक्ष की किस्म की मांग उनकी आवश्यकताओं का सही आंकलन करते हुए सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तैयार की जावेगी।

1.4 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था समिति एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील होगी। स्वयंसेवी संस्थाऐं इस कार्य में उत्प्रेरक एवं संयोजक का कार्य करेगी तथा साझा वन प्रबन्ध में निरन्तरता बनाये रखने का प्रयास करेगी। उनकी क्षेत्र से प्राप्त उपज एवं आय में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होगी।

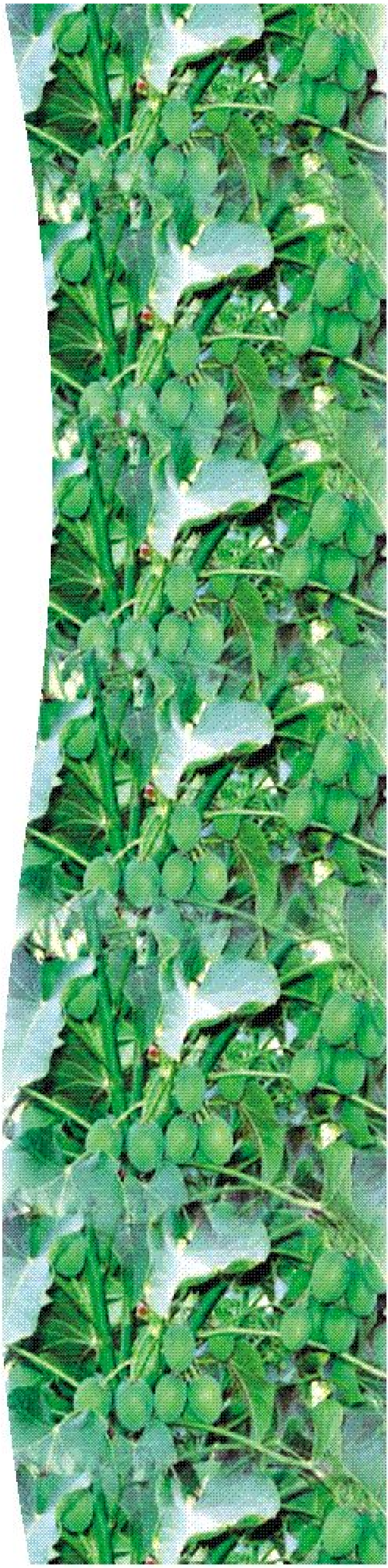

2. ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का स्वरूपः-

2.1 प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति गठित करने का प्रयास किया जावेगा। उक्त ग्राम की सीमा में पड़ने वाले सभी परिवार जो ग्राम के स्थाई निवासी हो तथा जिन्हें ग्राम के प्राकृतिक संसाधन से लाभ प्राप्त करने के अधिकार एवं रियायतें प्राप्त हो, उनको समिति की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2.2 यथा संभव एक राजस्व ग्राम के लिए एक समिति होगी। किन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इस जलगृहण क्षेत्र भूमि उपज पर साझादारी करवाये जाने वाले विकास में लोगों के सामान्य रुचि जुडी होना, में एक से अधिक ग्राम के समूह की भी एक समिति गठित की जा सकती है। इसी प्रकार जन जातीय क्षेत्रों के एक राजस्व ग्राम में आने वाले फला अथवा ढाणी के लिए तथा इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चकवार प्रथक-प्रथक समिति गठित की जा सकती है, परन्तु ऐसा तभी किया जा सकेगा जब ग्राम के सभी लोगों में इस संबंध में आम सहमति हो।

3. समिति की सदस्यता एवं गठनः-

3.1 जिस ग्राम अथवा ग्रामों के समूह की अथवा फला/चक/ढाणी इत्यादि की समिति बनाई जा रही है, उसकी राजस्व सीमा में पडने वाले प्रत्येक परिवार के सभी व्यस्क व्यक्ति, समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। वन विभाग का क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त ग्राम आता हो संबंधित ग्राम पंचायत तथा/अथवा गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से सदस्यता हेतु सहमति प्राप्त कर सदस्यों की सूची तैयार करेंगे, जिससे कम से कम 33 प्रतिशत सदस्य महिलाऐं होंगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी क्षेत्र के गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था के सहयोग हेतु लिखित में उन्हें आमंत्रित करेंगे। क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी सदस्यों की बैठक जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हो, बुलाकर समिति के गठन के बारे में उनसे सहमति प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात उक्त सूची संबंधित उप वन संरक्षक को भेजेंगे, जो सामान्यत तीन माह में इसकी समीक्षा कर सही पाये जाने पर समिति के गठन व पंजीकरण के विधिवत आदेश प्रचलित करेंगे अन्यथा अस्वीकार करेंगे।

3.2 गठित समिति समय अन्तराल में सदस्यों के जोड़ने/हटाने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी एवं जोड़े/हटाये गये सदस्यों की सूची संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी के मार्फत संबंधित उप वन संरक्षक को भेजेगी। संबंधित उप वन संरक्षक, समय-समय पर भेजे गये ऐसे सदस्यों के बारे में अपने रिकार्ड में संशोधन करेंगे।

4. महिलाओं की सलाहकार उप समिति :-

4.1 प्रत्येक ग्राम में बनाई गई समिति के अतिरिक्त केवल महिला सदस्यों की एक सलाहकार उप समिति भी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा समिति के साथ-साथ गठित की जावेगी। इसमें ग्राम के कम से कम 7 महिला सदस्यों का होना आवश्यक होगा। उप समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चयन करेगी। यह उप समिति विशेषकर महिलाओं के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके विचार को कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेगी। उप समिति के नियमित रूप से बैठक का आयोजन करना संबंधित वनपाल/वन प्रसार सहायक/वन रक्षक/वन प्रसारक का उत्तरदायित्व होगा। वनपाल/वन प्रसार सहायक/वन रक्षक/वन प्रसारक जो कि कार्यकारिणी का पदेन सचिव भी है, उप समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यकारिणी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। कार्यकारिणी उप समिति के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

5. कार्यकारिणी का गठन :-

5.1 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के कार्य संचालन हेतु 11 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। कार्य समिति के इन सदस्यों का चयन ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा। समिति से संबंधित ऐसे गांव/गांवों का समूह/फला/चक जहां अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या कुल आबादी का क्रमशः 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत होगी, वहां इस कार्यकारिणी में ग्यारह में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा। जहां अनूसूचित जाति एवं जनजाति का सम्मिलित प्रतिशत कुल आबादी का 15 प्रतिशत या उससे कम होगा, वहां एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में से लिया जायेगा। कार्यकारिणी में कम से कम तीन महिला सदस्य आवश्यक रूप से होंगे। भूमिहीन व्यक्तियों में से भी कम से कम एक व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जायेगा। उक्त चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

5.2 कार्यकारिणी ग्यारह निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन करेगी। उक्त तीन पदों में से कम से कम एक पद पर महिला का चयन होना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित पंचायत के सरपंच/पंच जो उस ग्राम के निवासी हो कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे। परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्षेत्र से संबंधित वन विभाग का वनपाल/वन प्रसार सहायक/वनरक्षक/वन प्रसारक इस समिति के पदेन सचिव होंगे एवं इसको भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। महिला सलाहाकार उप समिति की अध्यक्ष भी कार्यकारिणी की पदेन सदस्य होगी एवं उसको वोट देने का अधिकार रहेगा।

5.3 यदि कार्यकारिणी समिति चाहे जो उसके क्षेत्र के साथ जुड़े किसी भी गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था से एक व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेगी परन्तु ऐसे सदस्य को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

5.4 एक बार गठित की गई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उसके पश्चात समिति की कार्यकारिणी का नये सिरे से गठन किया जावेगा, जिसमें यह प्रयास किया जावेगा कि समिति के कार्यकारिणी में से ही किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाया जावे। इस आदेश से पूर्व प्रचलित आदेशों के तहत गठित कार्यकारिणी का पुनर्गठन इस आदेश के प्रावधानों के तहत किया जावेगा तथा ऐसी पुनर्गठित कार्यकारिणी में किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा। कार्यकारिणी के सदस्य को सचिव बनाने की स्थिति में वन विभाग का वनपाल/वन प्रसार सहायक/वन रक्षक/वन प्रसारक कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे तथा पूर्व की भांति वह पदेन सचिव का कार्य करेंगे।

5.5 समिति उसके क्षेत्र में पड़ने वाले वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण क्षेत्रों एवं वन्य जीव की अपने सदस्यों के माध्यम से सुरक्षा करना सुनिश्चित करेगी तथा क्षेत्र में अतिक्रमण, चराई, छघाई, चोरी, अवेध खनन, वन उपज की अवैध निकासी एवं आग की रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था करेगी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सूचित करेगी।

5.6 समिति एवं उसके सदस्य वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में अवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को पकड़कर/पकड़वाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में वन अधिकारियों का सहयोग करेगी। ऐसा कोई भी कृत्य जो राजस्थान वन अधिनियम, 1953, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं उसके अधीन बने नियमों के तहत वर्जित है, उसे होने से रोकेगी।

5.7 समिति के किसी सदस्य की वन क्षेत्र/वृक्षारोपण विरोधी गतिविधि से संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को अवगत कराने का दायित्व समिति के सदस्यों/कार्यकारिणी का होगा। समिति ये सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में कार्यकारिणी ऐसे सदस्य/सदस्यों को समिति की आम राय से आर्थिक रूप से दण्डित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यवाही कर सकती है। प्राप्त राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी। निरन्तर दुरुउपयोग पाये जाने पर ऐसे सदस्य/सदस्यों को कार्यकारिणी द्वारा बहुमत के निर्णय अनुसार निष्कासित कर सकेगी।

5.8 समिति को वन विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध की सुविधा की दृष्टि से उपलब्ध कराई गई भूमि में किसी प्रकार के कृषि, उद्योग, पक्के आवास एवं ऐसा कार्य जो वन विकास की श्रेणी में नहीं आता हो, करने की आज्ञा नहीं होगी।

5.9 समिति प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करेगी।

6. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वः-

6.1 जिले में मण्डल अधिकारी/उप वन संरक्षक उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिक से अधिक गांवों में प्राथमिकता के तौर पर ऐसी समितियों का गठन करेंगे तथा प्रत्येक समिति के लिए वनपाल/वनरक्षक को मनोनीत करेंगे, जो प्रारम्भ में समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

6.2 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को नर्सरी में पौध तैयारी, वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध, जैव विविधता संरक्षण, लेखों का संधारण, कौशल वृद्धि आदि पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देंगे।

6.3 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वन सुरक्षा के उपाय, वृक्षारोपण स्थल का चयन करने एवं सूक्ष्म नियोजन करने में समिति को सक्रिय सहयोग देंगे।

6.4 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों के द्वारा वन क्षेत्र/वृक्षारोपण में नुकसान होने की संभावना की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित वनाधिकारी तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायेंगे।

6.5 क्षेत्र में कल्चरल ऑपरेशन, विदोहन आदि विभाग की देख रेख में करायेंगे।

6.6 समिति को प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करा कर संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6.7 ग्राम सुरक्षा समितियों को वन विभाग की क्षेत्र की सुरक्षा हेतु निर्धारित राशि आवंटित कर सकता है परन्तु ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग प्रथक से पशुरक्षक नहीं रखे जावेंगे। इस राशि को समिति ग्राम विकास कार्यों पर भी व्यय कर सकेगी।

6.8 अधिक से अधिक वन सुरक्षा समितियों को जनता वन योजना के माध्यम से वृक्षारोपण कराने हेतु प्रेरित करेंगे। इस योजना के तहत समिति द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए समिति को ठेकेदार की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

6.9 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

7. गैर सरकार/स्वयं सेवी संस्थाओं के दायित्वः-

7.1 गैर सरकारी /स्वयं सेवी संस्था वन विभाग व समिति के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील एवं उत्तरदायी होगी।

7.2 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था समिति के गठन में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

7.3 सूक्ष्म नियोजन कार्य में तथा प्रबन्ध योजना की तैयारी में सहयोग देंगे।

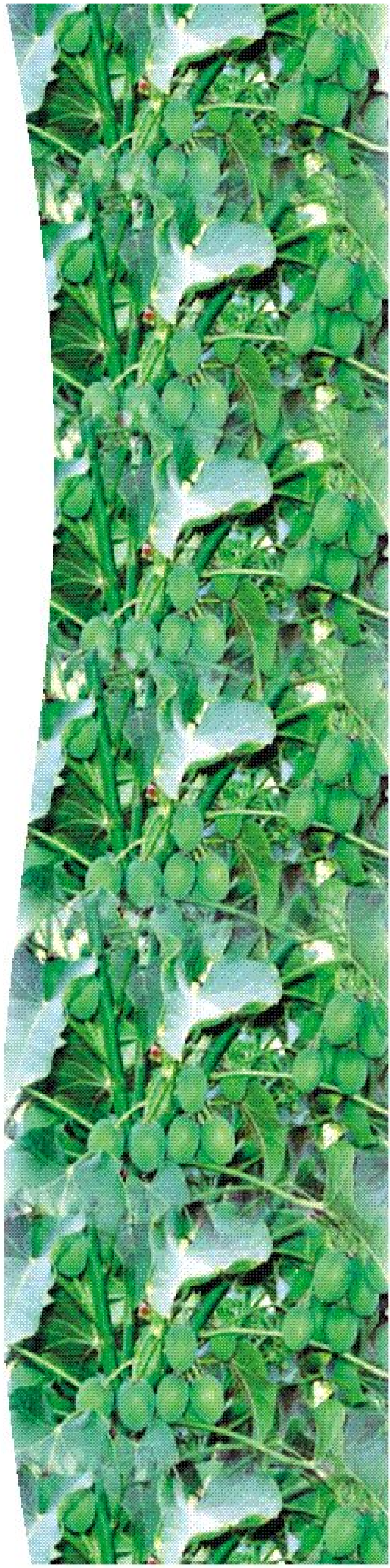

7.4 वन विभाग के विभिन्न नीति नियमों के बारे में आम जनता को जानकारी देंगे।

7.5 वन उपज के बंटवारे में यदि जनता के बीच विवाद उत्पन्न होता है इस प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने में वे सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

7.6 ग्रामीणों से निरन्तर सम्पर्क रख कर उनकी कठिनाइयों के बारे में वन विभाग को सूचित करेंगे।

8. साझा वन प्रबन्ध योजनाः-

8.1 वन विभाग के तकनिकी मार्गदर्शन में कार्यकारिणी समिति अन्य तकनिकी अधिकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से विचार विमर्श कर सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तथा साझा वन प्रबन्ध अतिआच्छादी प्रबन्ध वृत्त के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जावेगा तथा जिन कार्य योजनाओं में वर्तमान में साझा वन प्रबन्ध अतिआच्छादी वृत्त का प्रावधान नहीं है के उपचार एवं प्रबन्ध के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जावेगा। ठोस वन संवर्धन विधि, जल एवं मृदा संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण आदि तैयार की गई प्रबन्ध योजना के अभिन्न अंग होंगे। इस योजना की तैयारी के समय विभिन्न ग्रामीण समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से विचार-विमर्श करना अनिवार्य होगा।

8.2 विभिन्न वन उपजों के विभाजन एवं आय के उपयोग के बारे में इस आदेश में दी गई व्यवस्था के आधार पर प्रबन्ध योजना में स्पष्ट प्रावधान रहेंगे।

8.3 सुरक्षा अथवा/तथा विकास हेतु उपलब्ध कराई गयी वन भूमि के संबंध में समिति एवं संबंधित उप वन संरक्षक के मध्य एक करार (अनुबन्ध) संलग्न प्रारूप में किया जावेगा।

9. वन भूमि से प्राप्त होने वाली वन उपज का लाभ निम्नानुसार प्राप्त होगाः-

9.1 अन्तिम विदोहन से पूर्वः-

9.1.1 वन/वृक्षारोपण क्षेत्र जिसके विकास तथा/अथवा सुरक्षा, ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किया जा रहा है, उसके समय-समय पर प्राप्त होने वाली लघु वन उपज (तेन्दू पत्ता एवं गोंद को छोड़कर) जैसे-घास, पत्तियां, पाला, फलियां, फल, फूल, बीज, सूखी गिरी पडी टहनियां, गूंजा (पानी पूला), बुहारी, खस तथा अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अन्य लघु वन उपज समिति को निःशुल्क उपलब्ध होगी। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति के सदस्य लघु वन उपज निकास कर सकेंगें एवं इसके लिए वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सदस्यों की आम सहमति से कोई शुल्क भी अधिरोपित कर सकती है, जो समिति की आय होगी।

9.1.2 क्षेत्र के निम्न वन उपज प्राप्त करने का समिति के सदस्यों को अधिकार उसी स्थिति में होगा जब कि कम से कम 5 वर्ष तक लगातार वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में ऐसी समिति द्वारा

प्रभावी सुरक्षा एवं प्रबन्ध कार्य अनुबन्ध उपरान्त किया गया हो। पूर्व प्रचलित साझा वन प्रबन्ध परिपत्र दिनांक 15.3.91 एवं 26.4.91 के अनुसार गठित समितियों से यदि अनुबंध नहीं हुआ हो तो ऐसी समितियों को पंजीकरण तिथि वन उपज का लाभ देने के लिए अनुबंध की तिथि मानी जावेगी। अनुबंध की तिथि में शिथिलता का लाभ केवल उन्हीं समितियों को दिया जावेगा जो वन विकास सुरक्षा एवं प्रबंध में निरन्तर सक्रिय रही हो और संबंधित उप वन संरक्षक ने ऐसी समितियों के निरन्तर सक्रिय होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया होः-

1. अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुसार यदि वृक्षारोपण क्षेत्र/सुरक्षा किये जाने वाले क्षेत्र में कोई कल्चरल ऑपरेशन किये जाते है तो उसके फलस्वरूप उपलब्ध समस्त वन उपज पर कल्चरल ऑपरेशन पर अगर विभागीय व्यय हुआ हो तो उसे कम करने के उपरान्त वन सुरक्षा समिति का अधिकार होगा।

2. यदि अनुमोदित प्रबन्ध योजना में प्रावधान है और वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्ष इतने बड़े हो गये है कि चराई के लिए उनकी छगाई की अनुमति दी जा सके तो समिति आम सहमति से प्रति पशु अथवा प्रति वृक्ष शुल्क अधिरोपित करके प्रबन्ध योजना द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर पशुओं की चराई हेतु छगाई की अनुमति दे सकती है और इस प्रकार आय प्राप्त कर सकती है।

9.1.3. उपरोक्त साधनों से प्राप्त पूर्ण आय समिति के खाते में जमा की जावेगी।

9.2 अन्तिम विदोहन (Final Felling) के समय :

9.2.1 क्षेत्र के संबंध में तैयार की गई अनुमोदित प्रबंध योजना के प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार वन विभाग की देखरेख में उपज का विदोहन आवर्तन विदोहन (Rotational Felling) /विदोहन चक्र (Felling Cycle) के अनुसार करवाया जावेगा। विदोहन के पश्चात प्राप्त लकडी व बांस को दो वर्गों में एकत्रित किया जावेगा।

9.2.2 प्रथम वर्ग चारा को छोड़कर 20 से.मी. अथवा उससे कम मोटाई (छाल सहित) की लकड़ी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति की सिफारिश के अनुसार समिति के सदस्यों में समानुपात में वन अधिकारियों की देखरेख में वितरित कर दी जावेगी।

9.2.3 दूसरे वर्ग में 20 से.मी. मोटाई से अधिक (छाल सहित) की लकड़ी एवं सभी नाप का बांस वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के समक्ष स्थापित बाजार में प्रचलित दरों पर सदस्यों में विक्रय कर दी जावेगी।

9.2.4 समिति ने सदस्यों की मांग से अधिक लकड़ी एवं बांस का निस्तारण ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की सिफारिश के अनुसार सदस्यों के समक्ष वन विभाग के नियमानुसार खुली निलामी अथवा निर्धारित दर द्वारा विक्रय कर दिया जावेगा।

9.3 आय का विभाजन :-

9.3.1 अन्तिम विदोहन से प्राप्त आय के अलावा समय-समय पर प्राप्त अन्य आय में से समिति द्वारा प्राथमिकता पर वन/वृक्षारोपण क्षेत्र के सुरक्षा/संधारण/विकास हेतु व्यय किया जावेगा एवं उनकी राय अनुसार अन्य उपयोग में भी लिया जा सकेगा।

9.3.2 वन भूमि पर वृक्षारोपण, सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु व्यय होने वाली पूर्ण राशि विभाग द्वारा वहन/उपलब्ध करने पर अन्तिम विदोहन से प्राप्त बांस एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय अथवा निलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 50 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करवा दिया जावेगा। आय का अवशेष 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में जमा कर दी जावेगी। समिति के खाते में जमा कराई राशि में से आधी राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपयोग में ली जावेगी। आधी शेष बची आय की राशि को समिति पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन /वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने के कार्य में लगायेगी।

9.3.3 समिति द्वारा वन भूमि पर वृक्षारोपण, सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु व्यय होनी वाली पूर्ण राशि का वहन करने पर बास एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय अथवा निलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 10 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करवा दिया जावेगा। आय का अवशेष 90 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में जमा कर दी जावेगी। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि में से 70 प्रतिशत राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपयोग में ली जावेगी। 30 प्रतिशत शेष बची आय की राशि को समिति पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने के कार्य में लगायेगी।

9.3.4 समिति द्वारा वन भूमि की मात्र सुरक्षा एवं प्रबन्ध करने पर अन्तिम विदोहन से प्राप्त बांस एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय अथवा निलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 80 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करा दिया जावेगा। आय का अवशेष 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में जमा करा दी जावेगी। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि समिति के सदस्यों की आम राय के अनुसार उपयोग में ली जावेगी।

9.3.5 समय-समय पर प्राप्त आय को समिति के खाते में जमा किया जावेगा। उसका रिकॉर्ड वर्ष प्रतिवर्ष संधारित किया जावेगा व उसका निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी एवं वन विभाग के अन्य उच्च अधिकारी कर सकेंगे।

4. महिलाओं की सलाहकार उप समिति :-

4.1 प्रत्येक ग्राम में बनाई गई समिति के अतिरिक्त केवल महिला सदस्यों की एक सलाहकार उप समिति भी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा समिति के साथ-साथ गठित की जावेगी। इसमें ग्राम के कम से कम 7 महिला सदस्यों का होना आवश्यक होगा। उप समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चयन करेगी। यह उप समिति विशेषकर महिलाओं के समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके विचार को कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेगी। उप समिति के नियमित रूप से बैठक का आयोजन करना संबंधित वनपाल/वन प्रसार सहायक/वन रक्षक/वन प्रसारक का उत्तरदायित्व होगा। वनपाल/वन प्रसार सहायक/वन रक्षक/वन प्रसारक जो कि कार्यकारिणी का पदेन सचिव भी है, उप समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यकारिणी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। कार्यकारिणी उप समिति के प्रस्तावों पर विचार करेगी।

5. कार्यकारिणी का गठन :-

5.1 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के कार्य संचालन हेतु 11 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। कार्य समिति के इन सदस्यों का चयन ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा। समिति से संबंधित ऐसे गांव/गांवों का समूह/फला/चक जहां अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या कुल आबादी का क्रमशः 10 प्रतिशत व 10 प्रतिशत होगी, वहां इस कार्यकारिणी में ग्यारह में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा। जहां अनूसूचित जाति एवं जनजाति का सम्मिलित प्रतिशत कुल आबादी का 15 प्रतिशत या उससे कम होगा, वहां एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में से लिया जायेगा। कार्यकारिणी में कम से कम तीन महिला सदस्य आवश्यक रूप से होंगे। भूमिहीन व्यक्तियों में से भी कम से कम एक व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जायेगा। उक्त चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

5.2 कार्यकारिणी ग्यारह निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन करेगी। उक्त तीन पदों में से कम से कम एक पद पर महिला का चयन होना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित पंचायत के सरपंच/पंच जो उस ग्राम के निवासी हो कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे। परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्षेत्र से संबंधित वन विभाग का वनपाल/वन प्रसार सहायक/वनरक्षक/वन प्रसारक इस समिति के पदेन सचिव होंगे एवं इसको भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। महिला सलाहाकार उप समिति की अध्यक्ष भी कार्यकारिणी की पदेन सदस्य होगी एवं उसको वोट देने का अधिकार रहेगा।

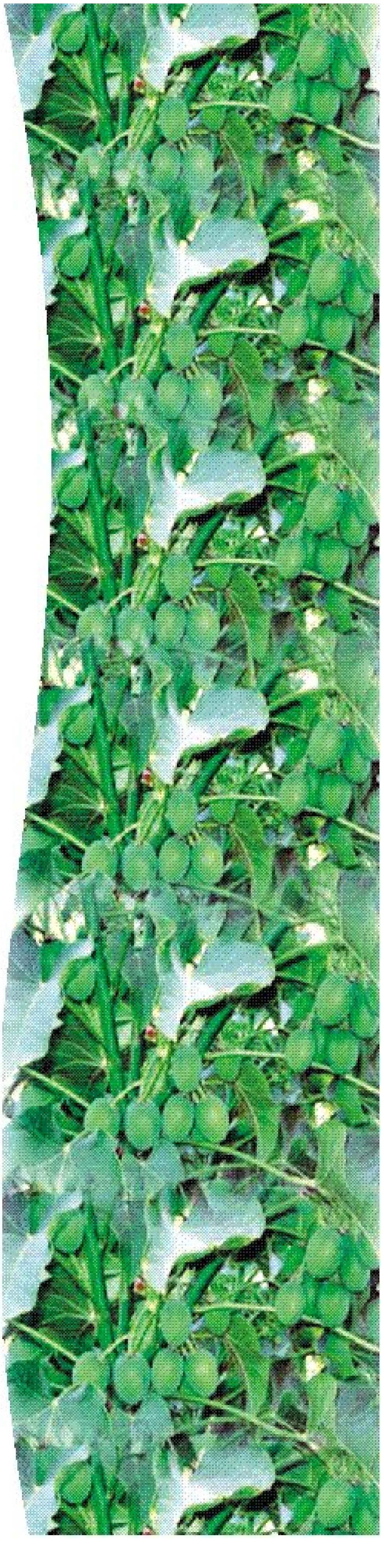

5.3 यदि कार्यकारिणी समिति चाहे जो उसके क्षेत्र के साथ जुड़े किसी भी गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था से एक व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेगी परन्तु ऐसे सदस्य को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

5.4 एक बार गठित की गई कार्यकारिणी का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उसके पश्चात समिति की कार्यकारिणी का नये सिरे से गठन किया जावेगा, जिसमें यह प्रयास किया जावेगा कि समिति के कार्यकारिणी में से ही किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाया जावे। इस आदेश से पूर्व प्रचलित आदेशों के तहत गठित कार्यकारिणी का पुनर्गठन इस आदेश के प्रावधानों के तहत किया जावेगा तथा ऐसी पुनर्गठित कार्यकारिणी में किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा। कार्यकारिणी के सदस्य को सचिव बनाने की स्थिति में वन विभाग का वनपाल/वन प्रसार सहायक/वन रक्षक/वन प्रसारक कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे तथा पूर्व की भांति वह पदेन सचिव का कार्य करेंगे।

5.5 समिति उसके क्षेत्र में पड़ने वाले वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण क्षेत्रों एवं वन्य जीव की अपने सदस्यों के माध्यम से सुरक्षा करना सुनिश्चित करेगी तथा क्षेत्र में अतिक्रमण, चराई, छघाई, चोरी, अवेध खनन, वन उपज की अवैध निकासी एवं आग की रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था करेगी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सूचित करेगी।

5.6 समिति एवं उसके सदस्य वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में अवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को पकड़कर/पकड़वाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में वन अधिकारियों का सहयोग करेगी। ऐसा कोई भी कृत्य जो राजस्थान वन अधिनियम, 1953, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं उसके अधीन बने नियमों के तहत वर्जित है, उसे होने से रोकेगी।

5.7 समिति के किसी सदस्य की वन क्षेत्र/वृक्षारोपण विरोधी गतिविधि से संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को अवगत कराने का दायित्व समिति के सदस्यों/कार्यकारिणी का होगा। समिति ये सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में कार्यकारिणी ऐसे सदस्य/सदस्यों को समिति की आम राय से आर्थिक रूप से दण्डित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यवाही कर सकती है। प्राप्त राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी। निरन्तर दुरुउपयोग पाये जाने पर ऐसे सदस्य/सदस्यों को कार्यकारिणी द्वारा बहुमत के निर्णय अनुसार निष्कासित कर सकेगी।

5.8 समिति को वन विकास, सुरक्षा एवं प्रबन्ध की सुविधा की दृष्टि से उपलब्ध कराई गई भूमि में किसी प्रकार के कृषि, उद्योग, पक्के आवास एवं ऐसा कार्य जो वन विकास की श्रेणी में नहीं आता हो, करने की आज्ञा नहीं होगी।

5.9 समिति प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करेगी।

6. वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वः-

6.1 जिले में मण्डल अधिकारी/उप वन संरक्षक उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अधिक से अधिक गांवों में प्राथमिकता के तौर पर ऐसी समितियों का गठन करेंगे तथा प्रत्येक समिति के लिए वनपाल/वनरक्षक को मनोनीत करेंगे, जो प्रारम्भ में समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

6.2 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को नर्सरी में पौध तैयारी, वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध, जैव विविधता संरक्षण, लेखों का संधारण, कौशल वृद्धि आदि पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देंगे।

6.3 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी वन सुरक्षा के उपाय, वृक्षारोपण स्थल का चयन करने एवं सूक्ष्म नियोजन करने में समिति को सक्रिय सहयोग देंगे।

6.4 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों के द्वारा वन क्षेत्र/वृक्षारोपण में नुकसान होने की संभावना की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित वनाधिकारी तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायेंगे।

6.5 क्षेत्र में कल्चरल ऑपरेशन, विदोहन आदि विभाग की देख रेख में करायेंगे।

6.6 समिति को प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य योजना तैयार करा कर संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6.7 ग्राम सुरक्षा समितियों को वन विभाग की क्षेत्र की सुरक्षा हेतु निर्धारित राशि आवंटित कर सकता है परन्तु ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग प्रथक से पशुरक्षक नहीं रखे जावेंगे। इस राशि को समिति ग्राम विकास कार्यों पर भी व्यय कर सकेगी।

6.8 अधिक से अधिक वन सुरक्षा समितियों को जनता वन योजना के माध्यम से वृक्षारोपण कराने हेतु प्रेरित करेंगे। इस योजना के तहत समिति द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए समिति को ठेकेदार की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

6.9 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

7. गैर सरकार/स्वयं सेवी संस्थाओं के दायित्वः-

7.1 गैर सरकारी /स्वयं सेवी संस्था वन विभाग व समिति के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील एवं उत्तरदायी होगी।

7.2 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था समिति के गठन में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

7.3 सूक्ष्म नियोजन कार्य में तथा प्रबन्ध योजना की तैयारी में सहयोग देंगे।

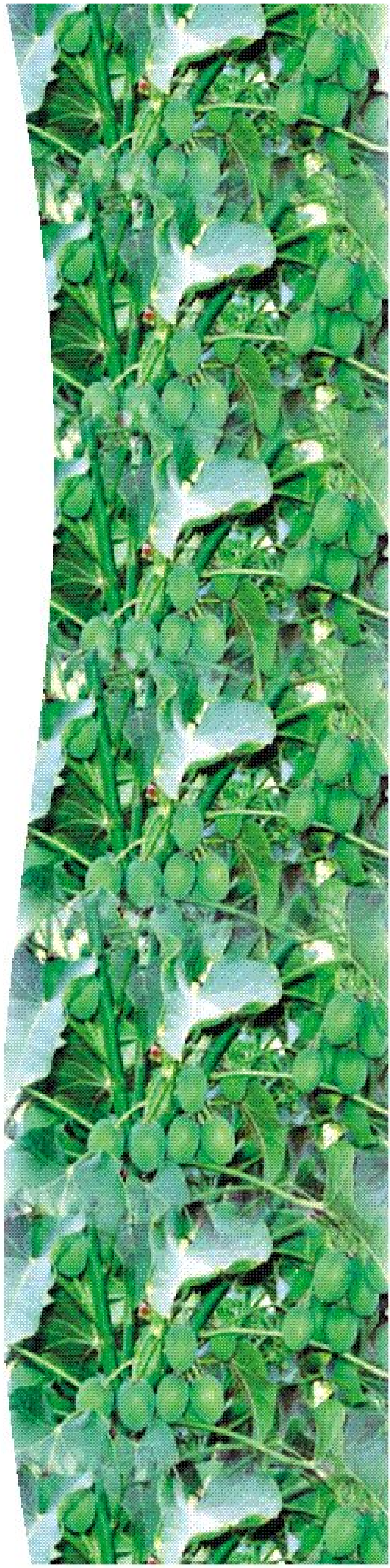

7.4 वन विभाग के विभिन्न नीति नियमों के बारे में आम जनता को जानकारी देंगे।

7.5 वन उपज के बंटवारे में यदि जनता के बीच विवाद उत्पन्न होता है इस प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने में वे सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

7.6 ग्रामीणों से निरन्तर सम्पर्क रख कर उनकी कठिनाइयों के बारे में वन विभाग को सूचित करेंगे।

8. साझा वन प्रबन्ध योजनाः-

8.1 वन विभाग के तकनिकी मार्गदर्शन में कार्यकारिणी समिति अन्य तकनिकी अधिकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से विचार विमर्श कर सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तथा साझा वन प्रबन्ध अतिआच्छादी प्रबन्ध वृत्त के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जावेगा तथा जिन कार्य योजनाओं में वर्तमान में साझा वन प्रबन्ध अतिआच्छादी वृत्त का प्रावधान नहीं है के उपचार एवं प्रबन्ध के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जावेगा। ठोस वन संवर्धन विधि, जल एवं मृदा संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण आदि तैयार की गई प्रबन्ध योजना के अभिन्न अंग होंगे। इस योजना की तैयारी के समय विभिन्न ग्रामीण समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से विचार-विमर्श करना अनिवार्य होगा।

8.2 विभिन्न वन उपजों के विभाजन एवं आय के उपयोग के बारे में इस आदेश में दी गई व्यवस्था के आधार पर प्रबन्ध योजना में स्पष्ट प्रावधान रहेंगे।

8.3 सुरक्षा अथवा/तथा विकास हेतु उपलब्ध कराई गयी वन भूमि के संबंध में समिति एवं संबंधित उप वन संरक्षक के मध्य एक करार (अनुबन्ध) संलग्न प्रारूप में किया जावेगा।

9. वन भूमि से प्राप्त होने वाली वन उपज का लाभ निम्नानुसार प्राप्त होगाः-

9.1 अन्तिम विदोहन से पूर्वः-

9.1.1 वन/वृक्षारोपण क्षेत्र जिसके विकास तथा/अथवा सुरक्षा, ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किया जा रहा है, उसके समय-समय पर प्राप्त होने वाली लघु वन उपज (तेन्दू पत्ता एवं गोंद को छोड़कर) जैसे-घास, पत्तियां, पाला, फलियां, फल, फूल, बीज, सूखी गिरी पडी टहनियां, गूंजा (पानी पूला), बुहारी, खस तथा अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अन्य लघु वन उपज समिति को निःशुल्क उपलब्ध होगी। समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समिति के सदस्य लघु वन उपज निकास कर सकेंगें एवं इसके लिए वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सदस्यों की आम सहमति से कोई शुल्क भी अधिरोपित कर सकती है, जो समिति की आय होगी।

9.1.2 क्षेत्र के निम्न वन उपज प्राप्त करने का समिति के सदस्यों को अधिकार उसी स्थिति में होगा जब कि कम से कम 5 वर्ष तक लगातार वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में ऐसी समिति द्वारा

प्रभावी सुरक्षा एवं प्रबन्ध कार्य अनुबन्ध उपरान्त किया गया हो। पूर्व प्रचलित साझा वन प्रबन्ध परिपत्र दिनांक 15.3.91 एवं 26.4.91 के अनुसार गठित समितियों से यदि अनुबंध नहीं हुआ हो तो ऐसी समितियों को पंजीकरण तिथि वन उपज का लाभ देने के लिए अनुबंध की तिथि मानी जावेगी। अनुबंध की तिथि में शिथिलता का लाभ केवल उन्हीं समितियों को दिया जावेगा जो वन विकास सुरक्षा एवं प्रबंध में निरन्तर सक्रिय रही हो और संबंधित उप वन संरक्षक ने ऐसी समितियों के निरन्तर सक्रिय होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया हो:-

1. अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुसार यदि वृक्षारोपण क्षेत्र/सुरक्षा किये जाने वाले क्षेत्र में कोई कल्चरल ऑपरेशन किये जाते है तो उसके फलस्वरूप उपलब्ध समस्त वन उपज पर कल्चरल ऑपरेशन पर अगर विभागीय व्यय हुआ हो तो उसे कम करने के उपरान्त वन सुरक्षा समिति का अधिकार होगा।

2. यदि अनुमोदित प्रबन्ध योजना में प्रावधान है और वन/वृक्षारोपण क्षेत्र में वृक्ष इतने बड़े हो गये है कि चराई के लिए उनकी छगाई की अनुमति दी जा सके तो समिति आम सहमति से प्रति पशु अथवा प्रति वृक्ष शुल्क अधिरोपित करके प्रबन्ध योजना द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्दर पशुओं की चराई हेतु छगाई की अनुमति दे सकती है और इस प्रकार आय प्राप्त कर सकती है।

9.1.3. उपरोक्त साधनों से प्राप्त पूर्ण आय समिति के खाते में जमा की जावेगी।

9.2 अन्तिम विदोहन (Final Felling) के समय :

9.2.1 क्षेत्र के संबंध में तैयार की गई अनुमोदित प्रबंध योजना के प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार वन विभाग की देखरेख में उपज का विदोहन आवर्तन विदोहन (Rotational Felling) /विदोहन चक्र (Felling Cycle) के अनुसार करवाया जावेगा। विदोहन के पश्चात प्राप्त लकडी व बांस को दो वर्गों में एकत्रित किया जावेगा।

9.2.2 प्रथम वर्ग चारा को छोड़कर 20 से.मी. अथवा उससे कम मोटाई (छाल सहित) की लकड़ी वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति की सिफारिश के अनुसार समिति के सदस्यों में समानुपात में वन अधिकारियों की देखरेख में वितरित कर दी जावेगी।

9.2.3 दूसरे वर्ग में 20 से.मी. मोटाई से अधिक (छाल सहित) की लकड़ी एवं सभी नाप का बांस वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के समक्ष स्थापित बाजार में प्रचलित दरों पर सदस्यों में विक्रय कर दी जावेगी।

9.2.4 समिति ने सदस्यों की मांग से अधिक लकड़ी एवं बांस का निस्तारण ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की सिफारिश के अनुसार सदस्यों के समक्ष वन विभाग के नियमानुसार खुली निलामी अथवा निर्धारित दर द्वारा विक्रय कर दिया जावेगा।

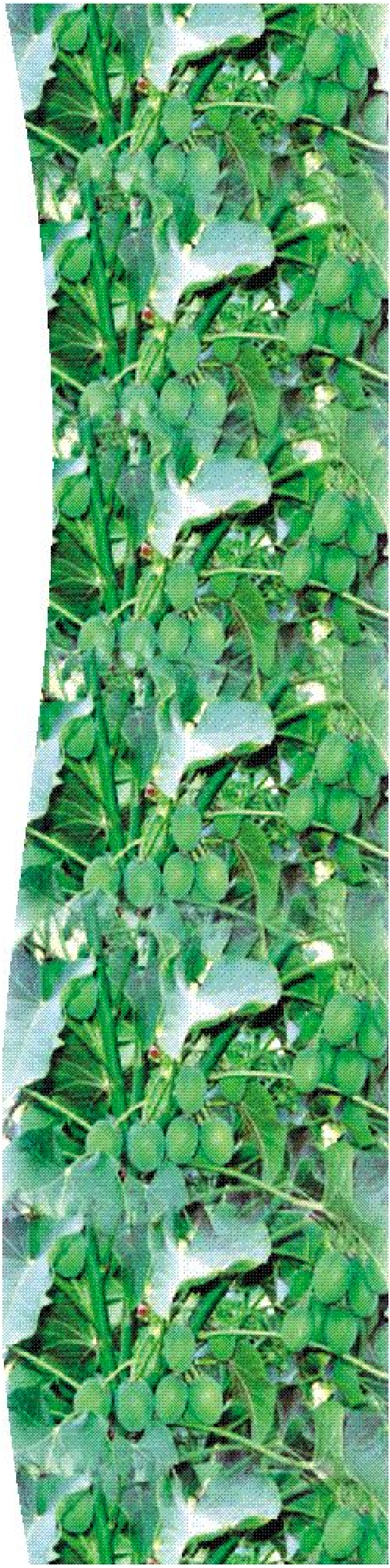

9.3 आय का विभाजन :-

9.3.1 अन्तिम विदोहन से प्राप्त आय के अलावा समय-समय पर प्राप्त अन्य आय में से समिति द्वारा प्राथमिकता पर वन/वृक्षारोपण क्षेत्र के सुरक्षा/संधारण/विकास हेतु व्यय किया जावेगा एवं उनकी राय अनुसार अन्य उपयोग में भी लिया जा सकेगा।

9.3.2 वन भूमि पर वृक्षारोपण, सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु व्यय होने वाली पूर्ण राशि विभाग द्वारा वहन/उपलब्ध करने पर अन्तिम विदोहन से प्राप्त बांस एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय अथवा निलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 50 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करवा दिया जावेगा। आय का अवशेष 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में जमा कर दी जावेगी। समिति के खाते में जमा कराई राशि में से आधी राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपयोग में ली जावेगी। आधी शेष बची आय की राशि को समिति पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन /वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने के कार्य में लगायेगी।

9.3.3 समिति द्वारा वन भूमि पर वृक्षारोपण, सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु व्यय होनी वाली पूर्ण राशि का वहन करने पर बास एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय अथवा निलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 10 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करवा दिया जावेगा। आय का अवशेष 90 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में जमा कर दी जावेगी। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि में से 70 प्रतिशत राशि समिति के सदस्यों की आम राय अनुसार उपयोग में ली जावेगी। 30 प्रतिशत शेष बची आय की राशि को समिति पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/अथवा वन/वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने के कार्य में लगायेगी।

9.3.4 समिति द्वारा वन भूमि की मात्र सुरक्षा एवं प्रबन्ध करने पर अन्तिम विदोहन से प्राप्त बांस एवं 20 से.मी. से अधिक गोलाई की लकडी के विक्रय अथवा निलामी से प्राप्त कुल सकल आय का 80 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग के राजस्व खाते में जमा करा दिया जावेगा। आय का अवशेष 20 प्रतिशत हिस्सा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में जमा करा दी जावेगी। समिति के खाते में जमा कराई गई राशि समिति के सदस्यों की आम राय के अनुसार उपयोग में ली जावेगी।

9.3.5 समय-समय पर प्राप्त आय को समिति के खाते में जमा किया जावेगा। उसका रिकॉर्ड वर्ष प्रतिवर्ष संधारित किया जावेगा व उसका निरीक्षण संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी एवं वन विभाग के अन्य उच्च अधिकारी कर सकेंगे।

10. विवादों का समाधान :-

10.1 समिति के सदस्यों के बीच अथवा ग्रामीण जनता के दो या अधिक गुटो के बीच उत्पन्न विवाद का फैसला करने में कार्यकारिणी समिति सक्रिय भूमिका निभायेगी। आवश्यक होने पर गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था/वन विभाग से भी मदद लेगी। कार्यकारिणी के द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

10.2 दो समिति या पंचायत एवं समिति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी विवादों का फैसला करेंगे।

10.3 उपरोक्त सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील संबंधित उप वन संरक्षक को की जावेगी।

11. समिति द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य न करने पर कार्यवाही :-

11.1 क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार से एक अनुबन्ध करना होगा। इस आदेश में उपर वर्णित सामान्य शर्तों तथा अनुबन्ध की विशिष्ठ शर्तों का किसी सदस्य द्वारा उल्लंघन करना पाया जाने की स्थिति में समिति ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर वन विभाग के संबंधित उप वन संरक्षक को सूचित करेगी।

11.2 ऐसे प्रकरणों में जहां समिति सामान्य शर्तो तथा अनुबन्ध की विशिष्ठ शर्तों अनुसार कार्यवाही नहीं कर रही हो तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन प्रसार अधिकारी द्वारा कम से कम दो लिखित नोटिस देने के उपरान्त भी समिति ने अपने कार्य में वांछित सुधार न किया हो तो उपवन संरक्षक कारणों की जांच करायेगे एवं निराकरण के लिए उचित कदम उठायेगे। इसके उपरान्त भी शर्तों का उल्लंघन होने पर उपवन संरक्षक उपरोक्त समिति से अनुबन्ध भंग कर देंगे। अनुबन्ध भंग होने के उपरान्त क्षेत्र की प्रबन्ध की व्यवस्था उप वन संरक्षक द्वारा कराई जावेगी।

11.3 इस प्रकार भंग किये गये अनुबन्ध के संबंध में समिति संबंधित वन संरक्षक को दो माह के अन्दर अपील कर सकेगी। वन संरक्षक का निर्णय विभागीय अधिकारियों एवं समिति दोनों के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

आज्ञा से

हस्ताक्षर

(राकेश वर्मा)

शासन सचिव, वन

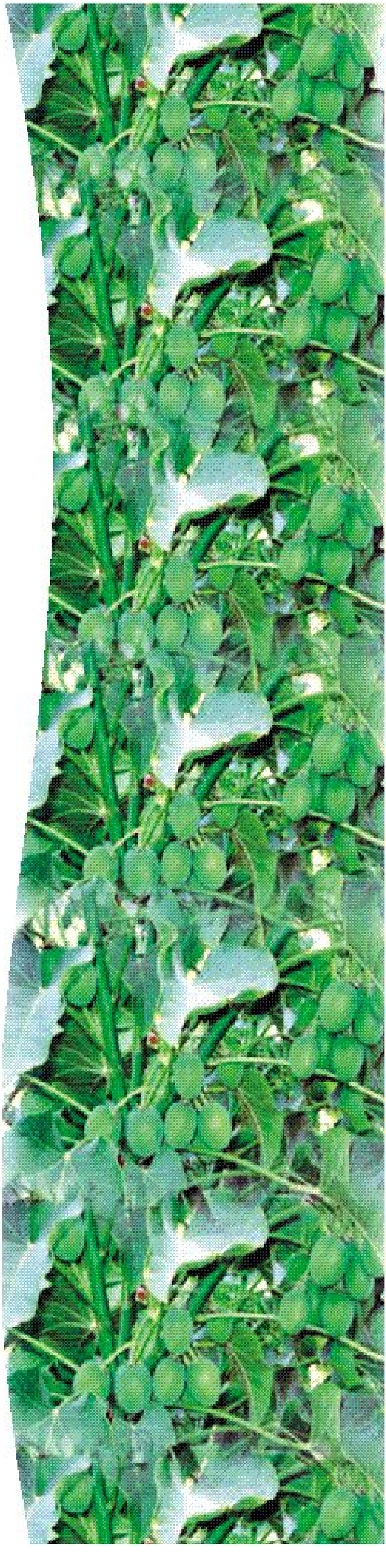

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं सभी मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, वन बन्दोबस्त एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जयपुर।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी।
7. समस्त जिलाधीश।
8. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।
10. अध्यक्ष/सचिव, स्वयं सेवी संस्था।

हस्ताक्षर

(हीरालाल गुप्ता)

सहायक शासन सचिव

दिनांक : 07.06.07

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर

किसानों से समर्थन मूल्य पर रतनजोत की खरीद एवं निस्तारण हेतु कार्य योजना

माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा बजट भाषण दिनांक 15.03.07 में रतनजोत की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष कार्य योजना प्रारम्भ करने का उल्लेख किया गया था। इस क्रम में प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता के कक्ष में दिनांक 25.05.07 को हुई बैठक में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में राजफैड को निर्देशित किया गया है कि:-

1. रतनजोत की खरीद के लिए राजफैड आवश्यक कार्ययोजना एवं प्रारम्भिक तैयारियाँ करें।
2. राजफैड द्वारा समस्त राज्य में रतनजोत की स्वयं के वित्तीय संसाधनों से खरीद की जायेगी।
3. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित समर्थन मूल्य पर राजफैड रतनजोत की खरीद एवं निस्तारण का कार्य करेगा।

अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार रतनजोत की खरीद हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना प्रस्तावित है।

1. प्रशासनिक विभाग

1. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को रतनजोत की समर्थन मूल्य पर खरीद कार्य में प्रशासनिक विभाग नियुक्त किया गया है।
2. रतनजोत की खरीद हेतु राजफैड विपणन एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

2. योजना की अवधि

रतनजोत खरीद योजना की अवधि अप्रेल 2007 से मार्च 2010 तक रहेगी। खरीद के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. रतनजोत का समर्थन मूल्य

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में रतनजोत का समर्थन मूल्य 7.00 रू. प्रति किलो निर्धारित किया गया है तथा भविष्य में बायोफ्यूल मिशन की अनुशंषा एवं वित्त विभाग की सहमति से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

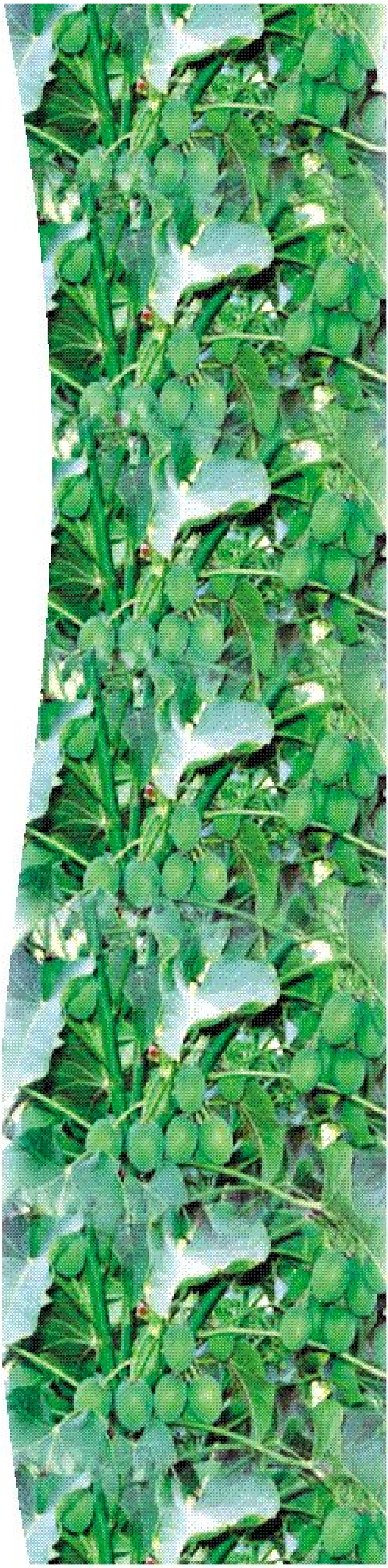

4. जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रतनजोत की खरीद

जनजाति उप योजना से संबंधित जिलों में राजससंघ उदयपुर यदि चाहे तो रतनजोत की समर्थन मूल्य पर खरीद कर सकेगा इस हेतु उसे राजफैड के साथ पृथक से अनुबंध करना होगा।

5. क्रय केन्द्र

राजफैड द्वारा रतनजोत की खरीद का कार्य अपनी सदस्य क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से करवायेगा।

6. क्रय केन्द्र का कार्यक्षेत्र

क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ क्षेत्र के किसानों से रतनजोत खरीद का कार्य करेगी। आवश्यकता होने पर राजफैड द्वारा किसी सहकारी संस्था के माध्यम से रतनजोत की खरीद एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जा सकेगा।

7. गुणवत्ता मापदंड

रतनजोत की खरीद हेतु गुणवत्ता मापदंड कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के माध्यम से निर्धारित करवाये जाने प्रस्तावित है।

8. बारदाना

रतनजोत की खरीद हेतु बारदाना राजफैड द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा

9. भर्ती एवं बोरियों की सिलाई

रतनजोत की बोरियों में भर्ती 50 किलो प्रति बोरी होगी। बोरी पर 14-16 क्रास टांके लगाने अनिवार्य होंगे।

10. बोरियों पर मार्का

बोरियों पर गहरे हरे रंग का मार्का निम्नानुसार लगाया जावेगाः-

10.1 विपणन वर्ष 2007-08

10.2 कृषि जिन्स रतनजोत

10.3 क्रय एजेन्सी राजफैड

10.4 क्रय केन्द्र का नाम

10.5 सहकारी समिति का नाम

10.6 भर्ती 50 किलो नेट

11. किसानों को भुगतान

किसानों को रतनजोत का भुगतान नकद में संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किया जावेगा। राजफैड द्वारा संबंधित सहकारी समिति/संस्था को पुर्नभरण किया जावेगा।

12. खरीद रजिस्टर

क्रय केन्द्र पर खरीद रजिस्टर रखा जावेगा खरीद केन्द्र द्वारा किसान को क्रय पर्ची दी जावेगी जिसमें क्रय मात्रा दर एवं कुल राशि का उल्लेख होगा।

13. भंडारण

रतनजोत को क्रय विक्रय सहकारी समिति अपने गोदाम में सुरक्षित रखेगीं ज्यों ही क्रय की गई रतनजोत ट्रक/मिनी ट्रक लोड हो जाती है वैसे ही रतनजोत का भंडारण राजफैड के निर्देशानुसार केन्द्रीय/राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम के गोदामों में राजफैड के नाम से करवाया जावेगा।

14. भंडारण रसीदें

केन्द्रीय/राज्य भंडार व्यवस्था निगम से समय पर भंडारण रसीदें संबंधित क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा बिना किसी रिमार्क के राजफैड के नाम से प्राप्त की जावेगी, जिन्हें उनके द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड को भिजवानी होगी। भंडारण हेतु रतनजोत भिजवाने पूर्व भंडारगृह में उपलब्ध रिक्त स्थान की जानकारी संबंधित भंडार प्रबन्धक से समिति द्वारा प्राप्त की जावेगी, क्योंकि प्रतिदिन रिक्त स्थान की उपलब्धता में परिवर्तन होता रहता है।

15. हैण्डलिंग एवं परिवहन

15.1 हैण्डलिंग एवं परिवहन व्ययों का निर्धारण स्थानीय स्तर पर किया जावेगा, जिसके लिए निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता हैः-

1. सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ अध्यक्ष
2. व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति सदस्य सचिव
3. लेखाकार क्रय विक्रय सहकारी समिति सदस्य
4. क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड का प्रतिनिधि सदस्य

15.2 कमेटी का कोरम तीन का होगा, जिसमें अध्यक्ष की उपस्थिति आवश्यक होगी।

15.3 हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय लेने के लिए उक्त कमेटी सक्षम होगी। निविदा का आमंत्रण सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ द्वारा किया जावेगा, विज्ञापन प्रकाशन का कार्य, भुगतान संबंधित समिति के द्वारा किया जावेगा। निविदा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् संबंधित समितियों के द्वारा कार्य आदेश जारी किया जावेगा एवं हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य समाप्त होने के पश्चात् उनके द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान संबंधित समितियों द्वारा किया जावेगा, जिसका पुनर्भरण राजफैड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियमानुसार किया जावेगा। हैण्डलिंग एवं परिवहन एजेन्ट को भुगतान करते समय उसके बिल में से नियमानुसार आयकर एवं सर्विस टेक्स की कटौति कर प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। हैण्डर्लिंग एवं परिवहनकर्ता को संबंधित समिति का नोमिनल सदस्य बनना होगा।

15.4 स्थानीय परिवहन का कार्य ट्रक यूनियन की दरों पर कमेटी के माध्यम से नेगोशियेसन कर करवाया जावे जहाँ ट्रक यूनियन नहीं है वहां पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से परिवहन दरों का निर्धारण गठित कमेटी के माध्यम से किया जा सकता है।

15.5 सभी मण्डियों में हैण्डलिंग एवं स्थानीय परिवहन की दरें तय की हुई है। मण्डी समिति द्वारा हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरों का निर्धारण कृषकों के प्रतिनिधि, व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि, मजदूरों के प्रतिनिधि ओर मण्डी समिति के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जिसका अनुमोदन कृषि विपणन निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा किया जाता है। अतः हैण्डलिंग कार्य संबंधित मण्डी में कार्यरत दरों पर कराया जावे, इस हेतु कृषि उपज मण्डी समिति से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जावे।

15.6 जिसे केन्द्र पर मण्डी अथवा गौण मण्डी कार्यरत नहीं है वहां पर नजदीकी मण्डी की प्रचलित दरें लागू होगी।

15.7 वेयर हाउस में स्टेक का कार्य संबंधित वेयर हाउस में प्रचलित स्टेकिंग की दरों पर कराया जा सकता है।

16. क्रय की गई रतनजोत की सुरक्षा

क्रय केन्द्र पर वर्षा, धुल, आंधी आदि से सुरक्षा के लिए तिरपाल की पुख्ता व्यवस्था की जावे तथा बीमा भी करवाया जावे। क्रय केन्द्र से ट्रकों द्वारा रतनजोत का परिवहन भंडारण गोदाम तक करवाते समय ध्यान रखा जावे कि ट्रक पर तिरपाल की व्यवस्था हो ताकि परिवहन के दौरान रतनजोत की सुरक्षा हो सके।

17. प्रचार प्रसार

क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा खरीद केन्द्र के मुख्य द्वार एवं मण्डी प्रांगण में पोस्टर एवं कपड़े के बैनर लगा कर प्रचार प्रसार किया जावेगा।

18. छाया पानी की व्यवस्था

क्रय केन्द्र पर कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से छाया पानी एवं बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाई जावे।

19. सूचना सम्प्रेषण

क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा निर्धारित परिशिष्ठ में रतनजोत की खरीद, भाव एवं बारदाना की सूचना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड को प्रेषित की जावेगी।

20. विजीट रजिस्टर

क्रय केन्द्र पर एक विजिट रजिस्टर रखा जावेगा जिसमें केन्द्र पर समय समय पर पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों के निर्देशों एवं सुझावों का संधारण किया जावेगा।

21. क्रय किये गये रतनजोत का निस्तारण

समर्थन मूल्य पर क्रय की गई रतनजोत का विक्रय राजफैड द्वारा अपनी विक्रय नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि., जयपुर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के केन्द्रों की सूची

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड	जिला	लेम्पस
1.	उदयपुर	1. उदयपुर	1. बागपुरा
			2. मादडी
			3. झाडोल
			4. कोल्यारी
			5. गोगररूद
			6. क्यारी
			7. छेवला
			8. मण्डवा
			9. जुड़ा
		2. डूंगरपुर	10. गेंजी
			11. आंतरी
			12. रामगढ
			13. मांडा
		3. बांसवाड़ा	14. आमापुरा
			15. छोटीबदरेल
			16. भैंरूजीकाबडवाला
			17. दानपुर
			18. छोटी श्रवण
			19. कुशलगढ़
			20. रामगढ़
			21. भूंगडा
			22. क्सारवाडी
			23. बडवास छोटी
			24. केलामेला
			25. घंटाली
			26. पीपलखुंट
		4. प्रतापगढ	27. सालमगढ
			28. दलोट
			29. देवगढ
2.	कोटा	5. बारां	30. राजससंघ द्वारा चिन्हीत
3.	जोधपुर	6. सिरोही	31. राजससंघ द्वारा चिन्हीत

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास (भू-संसाधन प्रकोष्ठ)

आदेश. क्रमांक प. 15 (7) ग्रावि/2/2005 | जयपुर, दिनांक 14-9-2005

बायो फ्यूल मिशन (Bio-Fuel Mission)

1. राज्य में अखाद्य तेल एवं औषधीय पेड़-पौधों को बढ़ावा देने हेतु बायो-फ्यूल मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
2. मिशन के उद्देश्यः-

बायो फ्यूल मिशन निम्नलिखित विषय एवं मुद्दों पर उचित नीति (Policy) एवं सामरिकि (Strategy) तय करेगाः-

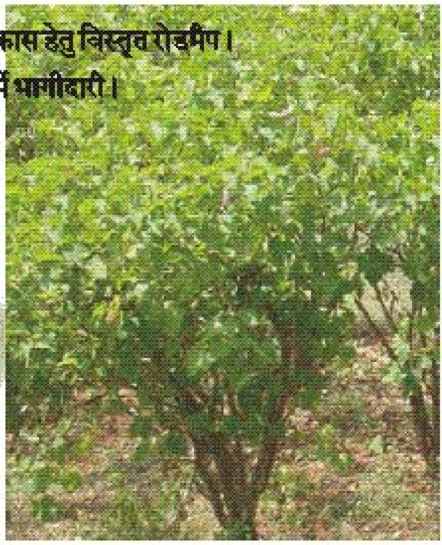

(i) अखाद्य तेल देने वाले पेड़ पौधों (करंज, रतनजोत, अरण्डी आदि) एवं औषधीय पौधों के समन्वित विकास हेतु विस्तृत रोडमैप।
(ii) पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं निजी कम्पनियों की कार्यक्रम में भागीदारी।
(iii) उत्पादन वृद्धि एवं गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं विकास कार्य।
(iv) विस्तार विधि से विशेष उद्देश्य के लिये ऐसे पेड पौधों को उगाने हेतु कृषकगणों को प्रोत्साहन।
(v) उपयुक्त राशि की उपलब्धता।
(vi) पौधशाला/वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था।
(vii) बीज संग्रहण एवं पौधों (Saplings) की उपलब्धता।
(viii) बीज से तेल निकालने हेतु स्थानीय इकाईयों की स्थापना।
(ix) बायो डीजल हेतु ट्रांसइस्टीरीफिकेशन प्लान्टस की स्थापना।
(x) विपणन व्यवस्था

3. मिशन की संरचना

मिशन की शासकीय परिषद निम्नानुसार होगीः-

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	वन मंत्री	सदस्य
4.	राजस्व मंत्री	सदस्य
5.	कृषि मंत्री	सदस्य
6.	सहकारिता मंत्री	सदस्य
7.	जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री	सदस्य
8.	मुख्य सचिव	सदस्य
9.	सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
10.	अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	सदस्य
11.	प्रमुख शासन सचिव/शासन, ग्रामीण विकास	सदस्य
12.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व	सदस्य
13.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव वित्त	सदस्य
14.	प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव कृषि	सदस्य
15.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सहकारिता	सदस्य
16.	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पंचायतीराज	सदस्य
17.	निदेशक, पट्रोलियम कन्वेंशन रिसर्च एसोसियेशन अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
18.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.आर.ई.सी.	सदस्य
19.	आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण	सदस्य
20.	निदेशक, कृषि	सदस्य
21.	कार्यकारी निदेशक, नेशनल ऑयल सीड एण्ड वैजीटेबल ऑयल डवलपमेंट बोर्ड, कृषि मंत्रालय भारत सरकार गुडगांव	सदस्य
22.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
23.	उपकुलपति महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, उदयपुर	सदस्य
24.	उपकुलपति, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	सदस्य
25.	प्रबन्ध निदेशक, राजससंघ, उदयपुर	सदस्य
26.	मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, जयपुर	सदस्य
27.	खादी एवं विलेज इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन का प्रतिनिधि	सदस्य
28.	डारेक्टर जनरल दी इनर्जी एण्ड रिसोंसेज इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली	
29.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायो फ्यूल मिशन	सदस्य सचिव

4. मिशन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक निर्णय लेगा तथा दिशा निर्देश प्रदान करेगा।
5. मिशन ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में कार्य करेगा।
6. मिशन आवश्यकतानुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के रूप में सहयोजित कर सकेगा।

उप सचिव (भू-संसाधन)

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक : प. 6 (45) प्र.सु./अनु-3/2007 जयपुर, दिनांक 29.9.2007

आदेश

राज्य में अखाद्य तेल एवं औषधीय पेड़-पौधे को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण विकास विभाग (भू-संसाधन प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक प. 15 (7) ग्रा.वि./2/2005 जयपुर दिनांक 14.09.2005 के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में बायो-फ्यूल मिशन का गठन किया गया था।

मंत्री मंडल की आज्ञा क्रमांक डी-1/मंमं/2007 दिनांक 17.01.2007 द्वारा राज्य में बायो-फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने संबंधित नीति की घोषणा की गई है। घोषित नीति के अनुसार बायो-फ्यूल संबंधित समस्त कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है।

राजस्थान कार्यविधि नियम के नियम 55 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) का निम्नानुसार गठन किए जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.स.	सदस्य	पद
1.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	सदस्य
3.	उप कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव, वन	सदस्य
8.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
9.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
10.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
11.	राज्य सरकार द्वारा नामित (Nominated) दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायो-फ्यूल ऑथोरिटी	सदस्य सचिव

इस समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग होगा।

रतनजोत

1.	बीज दर	2 किग्रा./है.
2.	वृक्षारोपण लागत	रुपये 25000/है.
3.	रख-रखाव लागत	रुपये 10000/है. (पहले दो वर्ष में)
4.	प्रक्रियण लागत	रुपये 400/मै.ट.
5.	ट्रांसइस्टेरिफिकेशन लागत	रुपये 700/मै.ट.
6.	पौधों के बीच दूरी	2 मी. x 2 मी.
7.	पौधों की संख्या	2500/है.
8.	प्रजाति	कर्कस
9.	1 किलो में बीजों की संख्या	1200-1400
10.	उपयुक्त जलवायु	औसत वर्षा 500 मिमि. से अधिक तापमान 45° C से कम
11.	बीज की कीमत	रुपये 6-8/किग्रा.
12.	रतनजोत बीजों में तेल की मात्रा	30 प्रतिशत

Oil Expeller

Trans-Esterification Unit

Glycerine Extraction Unit

बायो डीजल द्वारा संचालित वाहन

Printed by : RRSM LTD., Jaipur